RNI No.UTTHIN/2015/68784

हिन्दी मासिक पत्रिका

टाईम विटनेस

सभी देश व प्रदेशवासियों को धनतेरस, दिपावली व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं - सम्पादक

वर्ष :10 अंक :03 अक्टूबर 2024 मूल्य : रु 15/-

क्योंकि हम उठायेंगे आपकी आवाज!

सांप्रदायिक एजेंडे या चंदर सिंह गढ़वाली की विरासत के बीच चयन करना होगा

20

एमडीडीए के अधिकारी उड़ा रहे नियमों की धज्जियां

समस्त प्रदेश व
देशवासियों को
धनतेरस
दीपावली
व भाई दूज
की
हार्दिक शुभकामनाएं
की हार्दिक शुभकामनाएं
डी.एस. मान
चेयरमैन
दून इंटरनेशनल स्कूल

समस्त प्रदेशवासियों को
धनतेरस
दीपावली
व भाई दूज
की हार्दिक शुभकामनाएं
हाजी सुलेमान अंसारी
वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं
पूर्व ग्राम प्रधान, मेहूवाला माफी

समस्त
प्रदेशवासियों को
धनतेरस
दीपावली
व भाई दूज
की हार्दिक शुभकामनाएं
इरशाद अली
पूर्व ग्राम प्रधान, मेहूवाला माफी
वरिष्ठ भाजपा नेता, उत्तराखण्ड

समस्त
प्रदेशवासियों को
धनतेरस
दीपावली
व भाई दूज
की हार्दिक शुभकामनाएं
समीर पुण्डीर
पूर्व ग्राम प्रधान चालंग,
न्यायपंचायत गुजराड़ा

समस्त प्रदेश व देशवासियों को
धनतेरस
दीपावली
व भाई दूज
की
हार्दिक शुभकामनाएं
शिवानी बंसल
पार्षद , वार्ड न0 59
संजीत बंसल (घोली)

समस्त प्रदेशवासियों को
धनतेरस
दीपावली
व भाई दूज
की हार्दिक शुभकामनाएं
विनोद पंवार
सभासद वार्ड 1
कैंट बोर्ड प्रेमनगर

PRAYAG IAS Academy

Uttarakhand's Leading Institute for IAS/PCS, PCS (J)
Prayag IAS College Maan Singh Waala, Dehradun, Ph. No. 0135-2744550

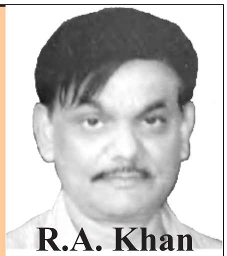

R.A. Khan
Director

आरएनआई संख्याः UTTHIN/2015/68784

टाईम विटनेस

मासिक पत्रिका वर्षः 10 अंक : 03

अक्टूबर 2024

सह संरक्षक	डॉ. संजय गांधी
	सलीम अहमद
विशेष सलाहकार	विजय खण्डूड़ी
कानूनी सलाहकार	मनमोहन कण्डवाल (एडवोकेट)
संपादक	अफरोज़ खाँ
सह संपादक	अशोक रावत
उत्तर प्रदेश प्रभारी	शादाब अली
उत्तराखण्ड ब्यूरो चीफ	इफ्तेखार अंसारी
पछवादून प्रभारी	संजय कुमार
व्यवस्थापक	मेघराज सिंह राठौर
ब्यूरो चीफ, उन्नाव	अनवार अहमद
संवाददाता	बाबू हसन
लेआउट डिजाइनर	शिखा बिष्ट

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अफरोज खाँ द्वारा आईशा प्रिन्टिंग प्रैस, चुक्खुवाला, देहरादून से मुद्रित कराकर, नियर रिवरेन पब्लिक स्कूल, ब्राह्मणवाला, निरंजनपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड से प्रकाशित।

संपादक अफरोज खाँ

पत्रिका से संबंधित किसी भी वाद-विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जिला- देहरादून ही मान्य होगा।

अन्दर के पृष्ठ में

14 हरियाणा में गफलत और गुटबाजी में मारी गयी कांग्रेस

16 'लव जिहाद' का हवाला देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाने वाले जज के खिलाफ एआईएलएजे ने की कार्रवाई की मांग

22 31 दिसंबर तक खाली करने का मुसलमानों को अल्टीमेटम

क्षेत्रीय कार्यालय टाईम विटनेस

68 माजरा सहारनपुर रोड नियर होटल सुंदर पैलेस, देहरादून, उत्तराखण्ड।
मो0 7409293012, 9084366323
ई-मेलः timewitness2015@gmail.com, afrojkhan78600@gmail.com

नोटः जरूरी नहीं कि लेखक के लिखे लेख से सम्पादक सहमत हो, एवं सभी पद परिवर्तनीय है व सभी सदस्य अवैतनिक है।

पुलिस सिर्फ कुछ हमलावरों को गिरफ्तार कर अपनी छाती पीटने में लगी है। सरकार के नुमाइंदे और सत्ताधारी दलों के नेता इस गिरफ्तारी को उपलब्धि के तौर पर पेश करने में लगे हैं। सवाल उठता है कि बिश्नोई जैसे गैंग के हौंसले इतने बुलंद कैसे हो गए?

आपराधिक तत्वों का बढ़ता मनोबल

देश में आपराधिक तत्वों का मनोबल बढ़ता जा रहा है और वे जहां चाहें, जिसे चाहें निशाना बनाकर बच जा रहे हैं। जो तत्व जघन्यतम और गंभीर अपराध कर रहे हैं। देश में हालात ऐसे हो गए हैं कि हमारी जांच और कानून प्रवर्तन एजेंसियां इन तत्वों को पकड़कर कानून के दायरे में नहीं ला पा रही हैं। इसी वजह से इन तत्वों का मनोबल बढ़ने लगा है और ये एक के बाद एक अपना शिकार बना रहे हैं। कुछ समय पहले पंजाब में कांग्रेस नेता और गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी। उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई गैंग उनसे मिलने आया था। इस गिरोह के सदस्य अन्य अपराधों में भी पकड़े जा चुके हैं। वे कभी भी कानून से नहीं डरे और न ही किसी ने उन्हें न्याय के कठघरे में खड़ा किया। अब महाराष्ट्र में पूर्व मंत्री और वरिष्ठ एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की उनके बेटे विधायक जीशान सिद्दीकी की उनके दफ्तर के बाहर हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अब पुलिस और सत्ता पक्ष के नेता सीना फुलाकर कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह तो कोई भी किसी की भी हत्या कर देगा और पुलिस गिरफ्तार करके खुश होती रहेगी और नेता छाती ठोकते रहेंगे तो अपराध नियंत्रित नहीं होंगे बल्कि उन्हें बढ़ावा मिलेगा जैसा कि अब हो रहा है। पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका अपराधों को होने से रोकना और आपराधिक मानसिकता वाले तत्वों पर जल्द से जल्द नकेल कसना और उन्हें अपराध करने से रोकना है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हो रहा है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी को पुलिस या सरकार के नुमाइंदे अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश करने से नहीं कतरा रहे हैं। जिस गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली है, वह कोई छोटा–मोटा गैंग नहीं है। अब तक उसने देश में कई गंभीर अपराध किए हैं और इन अपराधों को अपनी उपलब्धियों के तौर पर पेश किया है। गैंग ने एक बार फिर बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली है और कहा है कि उसने ऐसा किया है। अब पुलिस सिर्फ कुछ हमलावरों को गिरफ्तार कर अपनी छाती पीटने में लगी है। सरकार के नुमाइंदे और सत्ताधारी दलों के नेता इस गिरफ्तारी को उपलब्धि के तौर पर पेश करने में लगे हैं। सवाल उठता है कि बिश्नोई जैसे गैंग के हौंसले इतने बुलंद कैसे हो गए? वे जिसे चाहें जेल में बैठे–बैठे मारवा देते हैं और जब चाहें जिम्मेदारी ले लेते हैं। वे जिसे चाहते हैं धमकी देते हैं और उनके रिश्ते जेलों में भी पाए जाते हैं, तो क्या उन सभी को किसी न किसी तरह का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं है? भारत जैसे कानून के शासन वाले देश में यदि ऐसे आपराधिक तत्वों पर नियंत्रण नहीं किया गया और उन्हें असमाजिक तत्वों की भूमिका में नहीं लाया गया तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी और ऐसी हत्याओं का सिलसिला जारी रहेगा। यह हमारी कानून–व्यवस्था के लिए एक चुनौती है और यह हमारी जांच और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रदर्शन पर भी सवाल उठाता है। इस स्थिति पर सरकार एवं सरकारी प्रतिनिधियों को विचार कर समाधान करने की आवश्यकता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या एक ऐसी घटना है जिससे देश में आपराधिक तत्वों के मनोबल और कानून व्यवस्था की स्थिति का आकलन किया जा सकता है। इससे पुलिस एजेंसियों के प्रदर्शन का भी पता चलता है। केंद्र सरकार को इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है. इस गिरोह के तार देश के कई राज्यों से जुड़े हैं और वहां ये लोग अपराधिक घटना को अंजाम देते हैं। केंद्र सरकार को इस गिरोह से निपटने के लिए रणनीति बनाने की जरूरत है।

भू कानून व मूल निवास के नाम पर लोगों को डराया और ब्लैकमेल किया जा रहा

रामनगर। इन दिनों पूरे प्रदेश में सशक्त भू कानून की मांग जोर पकड़ रही है। जिसको लेकर धामी सरकार अपनी प्रतिबद्धता जता रही है। वहीं उप नेता प्रतिपक्ष व विधायक भुवन कापड़ी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भूकानून व मूलनिवास के नाम पर लोगों को डराया और ब्लैकमेल किया जा रहा है। जिन लोगों ने यहां पर पहले इन्वेस्ट किया है, अब उन लोगों को ब्लैकमेल करने का कार्य भू कानून व मूल निवास के नाम पर किया जा रहा है।

उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि इससे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार व राज्य सरकार का दोहरा चरित्र सामने आता है। उप नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे उत्तराखंड के जल, जंगल जमीन व नदियों को बेच रही है। यह अपने चहेतों के लिए कर रहे है। उन्होंने कहा सरकार को अगर भूकानून इतना ही महत्वपूर्ण लग रहा है तो तत्काल इसको लेकर विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए और इस पर चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि भूकानून व मूल निवास के नाम पर जिन लोगों ने उत्तराखंड में पहले से निवेश किया है, उनको डरा धमकाकर वसूली करने के लिए भूकानून के नाम पर डराना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे अफरा तफरी का माहौल बन गया है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने पूर्व में जमीन ली है पुराने कानून के हिसाब से लिया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार कुछ कर रही है और वह जनता के हित में है तो उसको धरातल पर लाएं और उससे लोगों को फायदा हो नुकसान नहीं।

बीते दिनों भू कानून पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहा था कि प्रदेश के अंदर लंबे समय से सख्त भूकानून की आवश्यकता थी, लोगों के द्वारा कई बार इसकी मांग की गई है । उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर भूकानून सख्त होना चाहिए। अभी तक जो भू कानून लागू है जो प्रावधान किए गए हैं, भूमि की खरिद फरोख्त में उन प्रावधानों का जिन्होंने उल्लंघन किया है या उनका पालन नहीं किया है, जिस प्रायोजन से उन्होंने वह भूमि खरीदी गई है, अगर उस भूमि का उपयोग उस प्रायोजन में नहीं किया गया है तो ऐसी सभी प्रकार की भूमि का तत्काल जांच के आदेश कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में हम सख्त भू कानून लेकर आएंगे। आगामी विधानसभा सत्र में हम सख्त भूकानून लेकर आएंगे।

चारु तिवारी
स्वतंत्र पत्रकार

पिछले कई वर्षों से उत्तराखंड की पहाड़ियों को 'देवभूमि' (देवताओं का निवास) के रूप में जाना जाने वाले, मुसलमानों के आक्रमण से काल्पनिक खतरे के बारे में अत्यधिक उत्तेजक और आक्रामक प्रचार किया जा रहा है। 'आशंका' व्यक्त की जा रही है कि देवभूमि (देवताओं की भूमि) 'प्रदूषित' होने जा रही है और दक्षिणपंथी निकायों के समर्थन से अल्पसंख्यक समुदाय को बदनाम करने और बाहर निकालने का एक ठोस अभियान पूरे जोरों पर चल रहा है, जिसका एकमात्र उद्देश्य सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक लाभ प्राप्त करना है। पिछले कई वर्षों से सोशल मीडिया पर धर्म और समाज की रक्षा के उपदेशों के साथ एक पूरा अभियान चल रहा है, जो 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपने चरम पर पहुंच गया है।

सत्ताधारी पार्टी ने इसका लाभ उठाया और तब से, इसे जमीनी स्तर पर परखने के बाद, पहाड़ के लोगों को यह विश्वास दिलाने में लगी है कि पूरा उत्तराखंड का पहाड़ मुसलमानों के कब्जे में जाने वाला है। पिछले कई वर्षों से एक दुष्प्रचार अभियान चल रहा है कि पहाड़ों में जनसांख्यिकी परिवर्तन हुआ है और मुसलमानों की आबादी कई गुना बढ़ गई है और वे 'देवभूमि' के सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल को खराब कर रहे हैं। हर

सांप्रदायिक एजेंडे या चंदर सिंह गढ़वाली की विरासत के बीच चयन करना होगा

प्रयास, हर चाल, हर असामाजिक गतिविधि या छोटे अपराध का फायदा उठाया जा रहा है और उसे सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, यहां तक कि चुनावों और अंतर–धार्मिक विवाहों का इस्तेमाल उत्तराखंड के शांत पहाड़ों में नफरत फैलाने के लिए किया जा रहा है, जो कि पूज्य हिंदू धार्मिक स्थलों का घर होने के बावजूद सदियों से सांप्रदायिक सद्भाव और सह–अस्तित्व का प्रतीक रहे हैं। चूंकि राज्य में एक बार फिर पंचायत और नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में पिछले पंचायत चुनाव की याद ताजा हो गई है, जब अल्मोड़ा जिले के भिकियासैंण विकासखंड के भतरौजखान क्षेत्र में सोशल मीडिया पर एक पोस्टर वायरल हुआ था। पोस्टर में एक महिला के ग्राम प्रधान पद के लिए पंचायत चुनाव लड़ने की बात थी। लेकिन चौंकाने वाली और निंदनीय बात यह रही कि कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों में महिला प्रत्याशी के नाम को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तूफान मच गया। जी हां, उनका नाम फराह था और उनके पति का नाम उस्मान। एक शातिर अभियान चलाया गया और पहाड़ों में 'मुसलमानों' के ग्राम प्रधान बनने पर सवाल उठाए गए।

फराह, जो कि एक मुस्लिम हैं, की उम्मीदवारी ने ऐसे तत्वों को बहुसंख्यक समुदाय के बीच अपनी काल्पनिक भय और डर फैलाने का मौका दे दिया। भाजपा और उनकी विचारधारा वाले लोग मूल रूप से अपनी पहाड़ विरोधी नीतियों के खिलाफ विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। फराह जिस गांव से ताल्लुक रखती हैं, उसका नाम दानपो है। भतरौजखान भी अल्मोड़ा जिले के भिकियासैंण विकासखंड की दानपो ग्राम सभा में आता है। दानपो गांव में सदियों से मुसलमान रहते आ रहे हैं। उत्तराखंड के कई अन्य गांवों की तरह ये मुसलमान भी सदियों से स्थानीय संस्कृति और समाज का अभिन्न अंग रहे हैं। सामाजिक सरोकारों से जुड़े हमारे मित्र और अधिवक्ता चंद्रशेखर करगेती और इस गांव के

दानपो गांव और फराह के संदर्भ में उत्तराखंड के मुसलमानों के बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी हो गया है। एक धारणा बनाई जा रही है कि मुसलमानों ने उत्तराखंड के पहाड़ों पर आक्रमण किया है और उनके पहाड़ों पर कब्जा करने के बारे में तरह–तरह की झूठी बातें 2021 से बेखौफ फैलाई जा रही हैं।

निवासी ने बताया कि उनकी ग्राम सभा में कई पीढ़ियों से मुस्लिम परिवार बसे हुए हैं और इस क्षेत्र की संस्कृति और भाषा से अनूठे ढंग से घुलमिल गए हैं। ये मुसलमान पूरे गांव के सुख–दुख में शामिल होते हैं। जब्बार भाई का एक परिवार था जो शादी–ब्याह और अन्य खुशी के मौकों पर मनोरंजन के लिए वाद्य यंत्र बजाता था। फराह इन्हीं मुसलमानों की बहू है। दानपो गांव की घटना के संदर्भ में, पूरे देश में और खासकर उत्तराखंड में, सुनियोजित तरीके से फैलाए जा रहे सांप्रदायिक एजेंडे को समझने की जरूरत है, ताकि सदियों से एक साथ शांतिपूर्वक रह रहे समाजों के बीच दुश्मनी पैदा की जा सके। विभिन्न समूहों के बीच भाईचारा और सौहार्द विकसित होने में सदियां लग जाती हैं, लेकिन निराधार अफवाहों के कारण यह भावना पलक झपकते ही खत्म हो जाती है।

निहित स्वार्थों द्वारा सदियों से साथ रह रहे लोगों को यह बताने का प्रयास किया जाता रहा है कि उनके पड़ोसी बहुत 'खतरनाक' और 'राष्ट्र–विरोधी' हैं। दानपो गांव में बड़ी संख्या में बसे मुसलमान अनादि काल से स्थायी निवासी हैं। वे इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा रहे हैं क्योंकि ऐसा कोई सामाजिक–सांस्कृतिक आयोजन नहीं होगा जिसमें वे सक्रिय रूप से भाग न लेते हों। ये मुसलमान स्थानीय समाज का हिस्सा रहे हैं, चाहे 'रामलीला' और 'होली' से लेकर शुभ उत्सवों या दुख के समय में भाग लेना हो। उन्हें स्थानीय हुंडू समुदाय ने कभी मुसलमान नहीं माना बल्कि अपना ही माना। उनके लिए होली, दिवाली और ईद में कोई अंतर नहीं था। वे हिंदुओं की तरह ही 'जागर' मनाते रहे हैं। लेकिन अफसोस, आज की राजनीति उन्हें यह बता रही है कि वे अलग हैं और मुसलमान 'दुश्मन' व नफरत के लायक हैं।

दानपो गांव और फराह के संदर्भ में उत्तराखंड के मुसलमानों के बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी हो गया है। एक धारणा बनाई जा रही है कि मुसलमानों ने उत्तराखंड के पहाड़ों पर आक्रमण किया है और उनके पहाड़ों पर कब्जा करने के बारे में तरह–तरह की झूठी बातें 2021 से बेखौफ फैलाई जा रही हैं। यह पहली बार नहीं था कि उत्तराखंड में किसी मुसलमान ने पंचायत चुनाव लड़ा हो। इससे पहले भी राज्य में करीब 11 मुसलमान पंचायत सदस्य बन चुके हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों के 63 गांव या तो मुस्लिम बहुल हैं या फिर वहां बड़ी संख्या में मुसलमान रहते हैं। ये मुसलमान पहाड़ों में हाल ही में रहने नहीं आए हैं बल्कि सदियों से यहां रह रहे हैं। सामंती राजाओं के जमाने से ही मुसलमान पहाड़ के शहरों में ही नहीं बल्कि पहाड़ के गांवों में भी रहते आए हैं। दिलचस्प बात यह है कि उत्तराखंड के ग्रामीण परिदृश्य में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि सिख और ईसाई भी रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल जिले में एक दर्जन से ज्यादा सिख

गांव हैं। जिनमें गूलर, मंडोली, कुच्यारी, अडानी और बैराठ प्रमुख हैं। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी शीशराम पोखरियाल और हमारे मित्र तथा उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी स्वर्गीय देव सिंह नेगी सिख समुदाय से थे। हम उन्हें सिख नेगी के नाम से जानते हैं। वे पगड़ी नहीं पहनते थे, लेकिन उनके पास गुरुद्वारे हैं और गढ़वाली क्षत्रियों (राजपूतों) से उनके पुराने संबंध थे। उनमें से कई पंचायतों के प्रतिनिधि रहे हैं। दो अंग्रेज भी यहां ग्राम प्रधान रह चुके हैं। इनमें प्रमुख हैं पीटर फ्रेडरिक जो भीमताल के जून स्टेट के ग्राम प्रधान थे। इसलिए सांप्रदायिक राजनीति के खतरनाक इरादों को समझना चाहिए। जहां तक मुसलमानों के बसने का सवाल है, टिहरी जिले की एक पूरी न्याय पंचायत मुस्लिम बहुल गांवों की है। जब मैं इस क्षेत्र में रहने वाले अपने मित्र बिलाल से बात करता हूं, तो वह मुझे प्रणाम और जय चंद्रबदनी कहकर अभिवादन करता है। विकासखंड जाखणीधार के अंजलीसैंण क्षेत्र में मोली, अंधारेठी (कफलना), गौधन, सुनाली, भंटवाड़ी, निराली, बोस्टा, चुनारकोटी, पहलगांव, निग्वाली, मथमिंगवाली जैसे मुस्लिम बहुल गांव हैं। ये सामंती राजाओं के समय से ही यहां बसे हैं और स्थानीय समाज व संस्कृति में गहराई से घुले–मिले हुए स्थायी निवासी हैं।

समय–समय पर यहां से पंचायत चुनावों में मुस्लिम प्रतिनिधि चुने जाते रहे हैं। बस्ता गांव की ग्राम प्रधान रेहाना बेगम थीं। पिछली बार यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। निंगवाली गांव से बसीर अहमद ग्राम प्रधान चुने गए थे। इस बार भी चार मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। पौड़ी जिले के कंडाखाल, पल्लगांव, रामगांव, जुड्डा बुंगधार, सिमली, मसोली आदि गांवों में 20वीं सदी की शुरुआत से ही मुस्लिम बसे हुए थे। इनमें से अधिकांश गूजर थे। वे मालिनी नदी में भैंस चराने के साथ ही अवसर मिलने पर गांवों में खेती और पशुपालन भी करते थे। गढ़वाल में बड़ी संख्या में मुस्लिम 'मिरासी' भी हैं जो यहां की सांस्कृतिक विरासत में पूरी तरह घुले–मिले हैं। गढ़वाल में 'सैद' या 'सैयद' का जागर प्रचलित है। लोक संगीत के पारखी केशव अनुरागी बड़ी श्रद्धा से 'सैदवाली' गाते थे– 'सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम/त्यारा मिया रत्नागाजी, सलाम वालेकुम/तेरी ओ बीबी फातिमा, सलाम वालेकुम/त्यारा बेगौड़ गाजीना, सलाम वालेकुम/तेरी ओ कलमा कुरान, सलाम वालेकुम/सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम।'

पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों के दर्जनों गांवों में सदियों से मुसलमान रहते आ रहे हैं। देवलथल (उसल), लोहाघाट के कोली भेक, चंपावत के मनिहार गोठ और जौलजीवी में मुसलमानों की बड़ी बस्ती रही है। मनिहार गोठ में मस्जिद बनी हुई है। भेक गांव के नसीम अहमद जो आजकल टनकपुर में अध्यापक हैं, उन्होंने छात्र जीवन में छात्रसंघ का चुनाव लड़ा था और आज भी वह यहां के सबसे लोकप्रिय नागरिकों में से एक हैं। बागेश्वर जिले के सानी उडयार में मुसलमानों की बहुत पुरानी बस्ती रही है। ब्राह्मणों के गांव देवलथल (उसल) में मुसलमानों की बड़ी बस्ती है। हमारे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार जहांगीर राजू बताते हैं कि उनके पूर्वजों का यहां के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने–बाने से बहुत गहरा नाता रहा है पूरी व्यवस्था शेख रहमतुल्लाह के जिम्मे थी। उसेल गांव में आज भी मुसलमानों

पौड़ी गढ़वाल का एक मुस्लिम गांव।

चमोली के कर्णप्रयाग के पास बसा एक मुस्लिम गांव कुड़ला में बना एक सुन्दर मस्जिद।

> **"अल्मोड़ा के भंडारगांव, बग्वाली पोखर, कुंवाली, मजखाली, रियूनी, सोमेश्वर, चनौदा, बछखनिया (चैखुटिया), द्वारसौं आदि गांवों में बड़ी संख्या में मुस्लिम सदियों से रह रहे हैं। अगर आप देहरादून जा रहे हैं तो मुजफ्फरनगर के पास आपको एक होटल मिलेगा- चीतल, यह होटल रियूनी के एक मुस्लिम परिवार का है।"**

के प्रसाद के बिना मंदिर में कोई पूजा नहीं होती। देवलथल में परंपरा है कि जब होली उसेल से देवलथल आती है तो सबसे पहले मुसलमान के घर जाती है। राजू कहते हैं कि आज भी यह होली सबसे पहले उनके घर आती है। उन्होंने बताया कि उनके दादा बहुत अच्छे वैद्य थे और आयुर्वेद पर उनकी कई किताबें आज भी परिवार के पास हैं। वह गांवों में बिना पैसे लिए लोगों का इलाज करते थे। देवलथल बाराबीसी पट्टी में पड़ता है और कई गांवों का केंद्र है। पिछली सदी से इस क्षेत्र के काफी लोग भारतीय सेना में सेवारत हैं और जब वे छुट्टी पर घर आते थे तो उन्हें घर लौटने में देर हो जाती थी। राजू की दादी ने देवलथल में अपने घर को धर्मशाला बना लिया था और पुराने जमाने के ज्यादातर सैनिक उनके साथ ही रहते थे। उनकी दादी उन्हें खाना भी खिलाती थीं और जब सैनिक लौटते थे तो उन्हें अपने बगीचे से फल देती थीं। वह उन्हें न जानते हुए भी अपने किसी रिश्तेदार की तरह विदा करती थी। राजू बताते हैं कि उनके पिता का काम चूड़ियां और चरेऊ बेचना था लेकिन पूरे इलाके में कोई भी उनके पिता को उनके नाम से नहीं बुलाता था। उन्हें उनके रिश्तेदार– दाज्यू, काका, चाचा, ताऊ आदि कहकर आदरपूर्वक पुकारा जाता था।

पिथौरागढ़ के धरमघर में एक बहुत पुराना मुस्लिम परिवार रहता है। अल्मोड़ा के भंडारगांव, बग्वाली पोखर, कुंवाली, मजखाली, रियूनी, सोमेश्वर, चनौदा, बछखनिया (चैखुटिया), द्वारसौं आदि गांवों में बड़ी संख्या में मुस्लिम सदियों से रह रहे हैं। अगर आप देहरादून जा रहे हैं तो मुजफ्फरनगर के पास आपको एक होटल मिलेगा– चीतल, यह होटल रियूनी के एक मुस्लिम परिवार का है। इस परिवार ने यहां के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में बहुत योगदान दिया है। मेरे इलाके के गगास घाटी के भंडारगांव और बग्वाली पोखर बाजार में

अब ध्यान भटकाने की रणनीति के तौर पर उत्तराखंड में 'भूमि जिहाद' का खतरा बढ़ रहा है, इससे पहले उन्होंने 'मजार जिहाद' का मुद्दा उठाया था और अतिक्रमण की गई सरकारी जमीन पर तीन सौ से ज्यादा निर्माणों को ध्वस्त कर दिया था। क्या उनकी सरकार ने अतिक्रमण की गई सरकारी जमीन पर किसी हिंदू धार्मिक स्थल की पहचान की है?

बड़ी संख्या में मुस्लिम सदियों से रह रहे हैं हैदर जी के बच्चे अनवर और अमीना हमारे साथ पढ़ते थे। अनवर बाद में सेना में भर्ती हो गया। अब वह रिटायर हो चुका है और घर आ गया है। हामिद, उहाफ, शकूर बख्श जैसे नाम आज भी याद आते हैं। इस परिवार का एक लड़का था हनीफ मोहम्मद और हम उसे हन्नू बुलाते थे। उसने वॉलीबॉल में बहुत नाम कमाया। वह राष्ट्रीय स्तर पर खेला। वह खेल कोटे से रेलवे में भर्ती हो गया। हमारे क्षेत्र के कुंवाली में एक मुस्लिम गांव है – रौला खरक। इस गांव में मुसलमान लंबे समय से रह रहे हैं। चमोली जिले के नंदप्रयाग क्षेत्र में भी मुसलमान लंबे समय से रह रहे हैं। तीर्थयात्रा के मौसम में तीर्थयात्रियों की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी इन्हीं मुसलमानों ने उठाई थी। यहां के मुसलमानों ने हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए एक धर्मशाला भी बनवाई थी। मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन कहा जाता है कि इसी परिवार के बदरुद्दीन ने बद्रीनाथ की आरती लिखी थी।

जिस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, वह हमारी सदियों पुरानी परंपराओं और आपसी संबंधों को खत्म करने की साजिश है। यह समझना बहुत जरूरी है कि मुसलमानों ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को पोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहाड़ में कई ऐसी रामलीलाएं हैं, जिनकी कल्पना हम मुसलमानों के बिना नहीं कर सकते। अल्मोड़ा की रामलीलाओं में मुसलमान दशकों से राम, लक्ष्मण, सीता आदि की भूमिका निभाते आ रहे हैं। प्रसिद्ध रंगकर्मी जहूर आलम, डॉ. अहसान बख्श समेत हमारे कई साथियों ने हमारी लोक विधाओं रामलीला और होली को न सिर्फ अक्षुण्ण रखा है, बल्कि इसे व्यापक फलक पर ले जाने की मुहिम भी छेड़ी है। इतिहासकार डॉ. अनवर अंसारी ने लिखा है– 'यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि इस्लाम स्वीकार करने के बाद भी स्थानीय मुसलमान खुद को स्थानीय परंपराओं से अलग नहीं कर पाए। जिस तरह महाराष्ट्र के मोमिन बोरा याज्ञवल्क्य स्मृति के भूमि विभाजन को आधार मानते हैं या 'मक्का' की तरह 'पधारपुर' की यात्रा करते हैं, उसी तरह धर्मांतरित उत्तराखंडी मुसलमान अपने पड़ोसी हिंदुओं की तरह सभी साझा देवी–देवताओं की पूजा और मन्नतें करते रहते हैं। पहाड़ के लोग देवी–देवताओं की शरण में जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध तक गढ़वाल के ग्रामीण मुसलमानों के पुजारी ब्राह्मण ही हुआ करते थे।

उत्तराखंड को देवभूमि बताकर और हिंदुत्व का चोला ओढ़कर कुछ द्वेषी लोग जो कृत्य कर रहे हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। इनका न तो कोई धर्म है और न ही कोई संवेदना। अंकिता हत्याकांड, दलित युवक जगदीश की हत्या, हेलंग में महिलाओं से घास छीनना, भर्ती घोटाला, विधानसभा में अपने लोगों को नियुक्ति देना या उत्तराखंड की जमीन लूटने के लिए भूमि कानूनों में ढील देना, इन सबमें तथाकथित देशभक्त और धर्म के ठेकेदार शामिल हैं। इन कृत्यों में कोई मुसलमान शामिल नहीं है, लेकिन उत्तराखंड की तमाम बुराइयों के लिए इन्हें ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।

प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने सख्त भूमि कानून लाने को लेकर जिस तरह के बयान दिए हैं, उससे भाजपा सरकारों की बेशर्मी का पता चलता है, जिन्होंने 2018 में पहाड़ों को बेचने के लिए कानूनों को शिथिल किया और 2022 में और शिथिल कर दिया। अब ध्यान भटकाने की रणनीति के तौर पर उत्तराखंड में 'भूमि जिहाद' का खतरा बढ़ रहा है, इससे पहले उन्होंने 'मजार जिहाद' का मुद्दा उठाया था और अतिक्रमण की गई सरकारी जमीन पर तीन सौ से ज्यादा निर्माणों को ध्वस्त कर दिया था। क्या उनकी सरकार ने अतिक्रमण की गई सरकारी जमीन पर किसी हिंदू धार्मिक स्थल की पहचान की है?

मजे की बात यह है कि दो साल पहले पौड़ी गढ़वाल के एक भाजपा नेता की बेटी की मुस्लिम लड़के से तय शादी पर भी बवाल मचा था। खैर, हिंदू–मुस्लिम एजेंडे के पीछे चाहे जो भी कुटिल राजनीति हो, लेकिन उत्तराखंड में सदियों से हिंदू–मुस्लिम लोगों के बीच शादियां होती रही हैं। कुछ ऐसी शादियां भी हैं जो इन तथाकथित "संस्कृति के ठेकेदारों" को आईना दिखाती हैं। इनमें से एक मशहूर जोड़ा लोकधर्मी मोहन उप्रेती और नईमा खान का था। इन दोनों ने उस दौर में प्रेम विवाह किया था, जब अल्मोड़ा के परंपरागत उच्च वर्गीय ब्राह्मणों में यह अकल्पनीय था। इतिहास इस बात का साक्षी है कि मोहन–नईमा दंपत्ति ने अपना पूरा जीवन उत्तराखंड की लोक विरासत के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने 'बेडू पाको बारामासा', 'पारे भिड़े की बसंती छोरी', 'सुर–सुरा मारुली बसिगे', 'ओ लाली ओ

उत्तराखंड के मुस्लिम समुदाय के बारे में जिस तरह की भ्रांतियां फैलाई गई हैं या जो काल्पनिक डर पैदा किया जा रहा है, उससे हमें सतर्क रहने की जरूरत है। हमें किसी मुसलमान या बाहरी व्यक्ति से खतरा नहीं है। हमें खतरा है अपने ही लोगों से जो पहाड़ों को निगलने की कोशिश कर रहे हैं और सत्ता में बैठकर पहाड़ों को बेचने में लगे हैं।

लाली हौंसिया' जैसे उत्तराखंड के प्रतिनिधि गीतों को व्यापक फलक पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तराखंड की लोक कथाओं 'राजुला मालूशाही', 'अजुआ बाफौल', 'गोरी धना' का नाट्य रूपांतरण करके इन दोनों ने लोक विधाओं में ऐतिहासिक योगदान दिया। उन्होंने रामलीलाओं के लिए काफी काम किया। उन्होंने रामलीलाओं में 'छैपइयां' गाईं। उन्होंने 'गौरा' नाटक में विरह गीत गाए। यह जानना भी कम दिलचस्प नहीं है कि नईमा जी का परिवार अल्मोड़ा का एक कुलीन मुस्लिम परिवार था। उनके दादा नियाज मुहम्मद म्यूनिसिपल बोर्ड में कमिश्नर थे। अल्मोड़ा में एक मोहल्ले का नाम उनके नाम पर नियाजगंज है। नईमा जी के पिता शब्बीर मुहम्मद खान ने एक ईसाई महिला से विवाह किया था।

शहरों को छोड़ दें तो उत्तराखंड में करीब 150 गांवों में मुसलमान रहते हैं। उन्होंने हमारी संस्कृति, भाषा और लोकगीतों को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने हमारे सांस्कृतिक प्रतीकों और लोक मान्यताओं को भी आत्मसात किया है। इसीलिए गढ़वाल में 'सैद की जागर' को 'सैदवाली' के नाम से गाया जाता है। लोक मर्मज्ञ केशव अनुराग ने 'सैदवाली' को आकाशवाणी पर अमर कर दिया क्योंकि गढ़वाली 'पीर बाबा' की पूजा करने लगे और यह सब सांस्कृतिक आत्मसात के माध्यम से संभव हुआ। 'पीर बाबा' में उनकी इतनी आस्था थी कि पहाड़ों से देहरादून और ऋषिकेश के मैदानों में पलायन करने के बाद भी उन्होंने अपने खेतों और घरों में 'सैयदों' की 'मजारें' बनाईं। ऐसी संरचनाओं को नष्ट करने के लिए एक हिंदुत्ववादी कट्टरपंथी द्वारा एक ठोस अभियान भी चलाया जा रहा है।

आज भी हमारे नैनीताल के वरिष्ठ प्रसिद्ध रंगकर्मी जहूर आलम, पिथौरागढ़ निवासी व मुम्बई में पटकथा लेखक डॉ. बख्श, लोक कलाकार शमशाद पिथौरागढ़ी, चित्रकार सलीम जैसे अनेक प्रतिभाशाली मुस्लिम कलाकार हैं, जिन्होंने होली, रामलीला, रंगमंच व लोक परम्पराओं को समृद्ध बनाने में अपना योगदान दिया है और जिन पर देवभूमि को गर्व है। खैर, पेशावर विद्रोह के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने कभी नहीं सोचा होगा कि लाहौर, क्वेटा, रावलपिंडी, पेशावर जैसे शहरों में रहकर अपनी सांस्कृतिक–राजनीतिक चेतना विकसित कर इतिहास में मील के पत्थर स्थापित करने वाले 'देवभूमि' के लोग धर्म और जाति के प्रति इतने दीवाने हो जाएंगे। चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे 'पठानों' पर गोली चलाने से इनकार कर न केवल उत्तराखंड के लोगों को बल्कि पूरी दुनिया को स्वाभिमान के साथ खड़ा होना सिखाया और दुनिया को दिखाया कि धर्म से बड़ी इंसानियत है। आजादी के बाद जब सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान भारत आए तो नेहरू जी ने उनसे कहा– 'हमें खुशी है कि आप हमसे मिलने आए।' गफ्फार खान ने कहा– 'मैं आपसे नहीं, चंद्र सिंह गढ़वाली से मिलने आया हूं।' वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की विरासत नफरत की नहीं, बल्कि प्यार की है। इसलिए हमारी विरासत को ठीक से समझना चाहिए।

उत्तराखंड के मुस्लिम समुदाय के बारे में जिस तरह की भ्रांतियां फैलाई गई हैं या जो काल्पनिक डर पैदा किया जा रहा है, उससे हमें सतर्क रहने की जरूरत है। हमें किसी मुसलमान या बाहरी व्यक्ति से खतरा नहीं है। हमें खतरा है अपने ही लोगों से जो पहाड़ों को निगलने की कोशिश कर रहे हैं और सत्ता में बैठकर पहाड़ों को बेचने में लगे हैं। हमें खतरा है उनसे जो पूंजीपतियों के लिए भूमि कानून लाकर हमारी जमीनों को लूट रहे हैं। हमें खतरा है उनसे जो हमारे सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं। हमें खतरा है उनसे जो हमारे अस्पतालों को पीपीपी मोड पर दे रहे हैं। हमें खतरा है उनसे जो पंचेश्वर जैसे विनाशकारी बांध बना रहे हैं। हमें खतरा है उनसे जो गैरसैंण को राजधानी बनाने के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। हमें खतरा है उनसे जो मोबाइल वाहनों से शराब पहुंचा रहे हैं। हमें खतरा है उनसे जो शराब की फैक्ट्रियां खोल रहे हैं। हमें खतरा है उनसे जो सिडकुल में कंपनियां बंद करवा रहे हैं। हमें खतरा है उनसे जो एक पूरी पीढ़ी की चेतना को नष्ट करना चाहते हैं। वे हमारी सदियों पुरानी परंपराओं, मान्यताओं, आपसी भाईचारे, सद्भाव और सहकारी समाज को निगलना चाहते हैं। हमें खतरा है उनसे जो किसी भी तरह से राजनीतिक सत्ता हथियाने के उद्देश्य से अपने सांप्रदायिक एजेंडे के तहत हमारी सांस्कृतिक चेतना को नष्ट करना चाहते हैं। उत्तराखंड के लोगों को विभाजनकारी दर्शन या चंद्र सिंह गढ़वाली की बहादुर विरासत के बीच चयन करना होगा।

राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण संतुलन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा

" राज्य की आर्थिकी एवं पारिस्थितिकी में संतुलन के लिए प्रत्येक स्तम्भ के लिए तीन सूत्रीय रणनीति बनाई गई है। "

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में आर्थिकी और पारिस्थितिकी में संतुलन के लिए 'त्रि–स्तम्भीय और नौ–सूत्रीय रणनीति कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राज्य में ईकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में नियोजन विभाग द्वारा तीन स्तंभों समुदाय सशक्तिकरण अभियान, नवाचार एवं तकनीकी अभियान तथा वित्तीय स्वायत्तता एवं साक्षरता अभियान पर रणनीति बनाई गई है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने के लिए हम सबको अपना विशेष योगदान देना है। राज्य सरकार द्वारा विकास के साथ ही पर्यावरण संतुलन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने सभी विभागों से अपेक्षा की है कि आज जो 'त्रि–स्तम्भीय और नौ–सूत्रीय रणनीति कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, इस पर सभी विभाग तेजी से कार्य करेंगे। सभी विभागों को राज्य में आर्थिकी एवं पारिस्थितिकी में संतुलन बनाकर कार्य करने की दिशा में आगे बढ़ना है। राज्य की आर्थिकी एवं पारिस्थितिकी में संतुलन के लिए प्रत्येक स्तम्भ के लिए तीन सूत्रीय रणनीति बनाई गई है। पहले स्तम्भ समुदाय सशक्तिकरण अभियान के तहत तीन सूत्र पारंपरिक प्रथाओं का पुनरावर्तन, उचित उपभोग हेतु व्यवहार परिवर्तन एवं युवाओं का कौशल उन्नयन है।

दूसरे स्तम्भ नवाचार एवं तकनीकी अभियान के तहत तीन सूत्र ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन, तकनिकी आधारित त्वरित समाधान एवं सर्कुलर इकॉनमी का अंगीकरण है। तीसरे स्तम्भ वित्तीय स्वायत्तता एवं साक्षरता अभियान के तहत तीन सूत्र ग्रीन प्रैक्टिसेज का मानकीकरण, कार्बन क्रेडिट हेतु सहभागिता एवं सतत परियोजनाओं हेतु ब्रिज फंडिंग की रणनीति है।

इस अवसर पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव न्याय प्रदीप पंत, प्रमुख सचिव आर.के सुधांशु, एल. फैनई, सचिव शैलेश बगोली, दिलीप जावलकर, डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, चन्द्रेश यादव, वी. षणमुगम, विनोद रतूड़ी, निदेशक अभियोजन पी.वी.के प्रसाद, अपर सचिव विजय जोगदंडे, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीपीपीजीजी डॉ. मनोज पंत एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

हरियाणा में गफलत और गुटबाजी में मारी गयी कांग्रेस

जयसिंह रावत
पत्रकार / लेखक

सूत न कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा वाली कहावत एक बार फिर कांग्रेसियों ने हरियाणा में दुहरा कर अपनी जीत की संभावनाओं पर खुद ही पानी फेर दिया। लगभग ऐसा ही नवम्बर 2023 में हुये राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभाओं के चुनाव में भी हुआ था। हरियाणा की ही तरह उन राज्यों के मठाधीशों के भरोसे रही कांग्रेस अति आत्मविश्वास के चलते चुनाव हार गयी। गत लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद लग रहा था कि मरणासन्न पड़ी कांग्रेस भाजपा जैसे अति शक्तिशाली प्रतिद्वन्दी से लड़ने के लिये खड़ी होने जा रही है लेकिन हरियाणा चुनाव ने कांग्रेसियों की सफलता की उड़ान को झटका दे दिया। राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का असली मुकाबला कांग्रेस ही कर सकती है लेकिन कांग्रेसी गुटबाजी और गलतफहमियों के चलते खुद ही अपी संभावनाओं पर पलीता लगा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में चुनाव सर्वेक्षकों के ओपीनियन और एग्जिट पोलों ने जिस तरह भाजपा को गफलत में रखा उसी तरह चुनावी भविष्यवाणियों की गफलत ने इस बार हरियाणा में कांग्रेस की नैया डुबो दी।

फिर हुए फेल चुनावी ज्योतिषी

हरियाणा चुनाव नतीजों को लेकर देश के लगभग एक दर्जन चुनावी ज्योतिषियों (पोलस्टरों) ने आपीनियन पोलों से लेकर एक्जिट पोलों तक कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत से लेकर आंधी तूफान जैसी जीत का पूर्वानुमान लगाया था। देश के 10 प्रमुख पोलस्टरों में से किसी ने भी कांग्रेस को 50 से कम सीटें नहीं दीं थीं। जबकि भाजपा को केवल दो ने 30 का आंकड़ा पार करने की भविष्यवाणी की थी। इसके विपरीत भाजपा को हरियाणा में 48 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत मिल गया और कांग्रेस 37 सीटों पर ही अटक गयी। इस चुनाव के एक्जिट पालों में दैनिक भास्कर ने 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस को 44–54 सीटें और भाजपा को 15–29 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था। इसी तरह सी–वोटर–इंडिया टुडे पोल ने

कांग्रेस को 50–58 सीटें और भाजपा को 20–28 सीटें दी हैं, जबकि रिपब्लिक भारत–मैट्रिज पोल ने कांग्रेस को 55 से लेकर 62 सीटें और रेड माइक–दतांश एग्जिट पोल ने कांग्रेस को 50–55 सीटें और भाजपा को 20–25 सीटें दी थी। इसी तरह ध्रुव रिसर्च ने कांग्रेस को 50–64 और भाजपा को 22–32 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था। पीपुल्स पल्स एग्जिट पोल ने हरियाणा में कांग्रेस को 49–60 सीटें और भाजपा को 20–32 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था।

ज्योतिषियों ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को रखा था गफलत में

गत लोकसभा चुनाव में भी पोलस्टरों ने भाजपा को इसी तरह गफलत में रखा था। लोकसभा चुनावों से पहले, कम से कम 12 एग्जिट पोल ने भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की भारी जीत का पूर्वानुमान लगाया था, जिसमें से कुछ ने गठबंधन को 400 सीटों का आंकड़ा पार करने का अनुमान लगाया था। हालांकि वास्तविक परिणाम काफी अलग निकले। एनडीए महज 293 सीटें हासिल कर पाया जो पूर्वानुमान से काफी कम थीं। विशेष रूप से, भाजपा केवल 240 सीटें जीतकर साधारण बहुमत से भी चूक गई। 2019 में उसके पास 303 सीटें थीं, जो 63 सीटों की गिरावट थी। इसके विपरीत, कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने 235 सीटें जीतीं। इस तरह एक्जिट पालों की विश्वसनीयता को फिर बट्टा लग गया।

गलतफहमियों के सागर में डूबी कांग्रेस

लोकसभा चुनावों में शून्य से बढ़ कर भाजपा के बराबर 5 सीटें हथियाने से कांग्रेस हरियाणा में विधानसभा चुनाव में भी गदगद दिखाई दी। तब कांग्रेस के वोट शेयर में भी लगभग 15 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। चुनाव अभियान में कांग्रेस ने किसान, जवान (अग्निपथ) और पहलवान के मुद्दों पर अपना अभियान फोकस कर रखा था। लेकिन आंतरिक मुद्दों को अनदेखा कर उसने भाजपा को जीतने में मदद कर दी। हालाँकि, ये मुद्दे अधिकांश मतदाताओं को प्रभावित करने में विफल रहे और कांग्रेस के लिए वोटों में तब्दील नहीं हुए। एक दशक से सत्ता से दूर, कांग्रेस ने हरियाणा में अपनी जीत को दीवार पर लिखी इबारत समझ लिया था जिसे फर्जी ओपीनियन पोलों ने पुख्ता कर दिया। कांग्रेस का दृढ़ विश्वास था कि जीत निश्चित है। राज्य में गत लोकसभा चुनावों में भाजपा के खराब प्रदर्शन ने कांग्रेस की उम्मीदों को हवा दे दी थी। हालांकि सच्चाई कांग्रेस और पोलस्टरों की धारणा से विपरीत निकली और भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में आ गयी। कांग्रेस के लिए यह एक बहुत बड़ा अवसर था जो उसने गंवा दिया। यह हार उसे महाराष्ट्र और झारखंड में आने वाले चुनावों में परेशान कर सकती है। हरियाणा की जीत से कांग्रेस संगठन में और अधिक

जाट वोटरों के भरोसे नहीं लगी नैया पार

कांग्रेस ने भाजपा से कुछ नहीं सीखा जबकि भाजपा को मिल रही सफलताओं से सीखने के लिये उसके पास काफी कुछ था। भाजपा हरियाणा में जाट और गैर जाट वोट बैंक में सन्तुलन बनाये रखती है। जबकि कांग्रेस ने इस बार जाट मतदाताओं पर अत्यधिक निर्भरता चुनी। वहां जाट समुदाय मतदाताओं का लगभग 27 प्रतिशत हिस्सा ही है। हालांकि कांग्रेस जाट–बहुल सीटों में से भी अधिकांश सीटें जीतने में कामयाब नहीं हुई। पार्टी ने कैथल, बरोदा, जुलाना, टोहाना, ऐलनाबाद, महम, गढ़ी सांपला–किलोई और बादली में जीत दर्ज की, लेकिन पानीपत ग्रामीण, सोनीपत, गोहाना, बाढड़ा, झज्जर, उचाना कलां और नारनौंद जैसी सीटें भाजपा के खाते में गईं, जबकि डबवाली इनेलो के खाते में गई।

हुड्डा की मनमानी भी पड़ी महंगी

कांग्रेस की सूबेदारों पर निर्भरता की जो मजबूरियां मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में थीं वहीं हरियाणा में भी आड़े आयीं। भूपेश बघेल, अशोक गहलोत और कमलनाथ की तरह भूपेन्द्र हुड्डा ने भी पार्टी आला कमान को दरकिनार कर चुनाव की कमान पूरी तरह अपने हाथ में रखी जिस कारण कुमारी शैलजा और सुरजेवाला जैसे नेता पार्टी की जीत के प्रति उदासीन हो गये। भाजपा से वापस कांग्रेस में लौटे चौधरी बीरेन्द्र सिंह को तो हुड्डा ने दूध की मक्खी की तरह अलग ही रखा। आला कमान के जोर देने पर भी हुड्डा ने आम आदमी पार्टी से चुनावी तालमेल नहीं होने दिया। ऐसा ही रुख आशेक गहलोत ने सचिन पायलट के लिये, कमलनाथ ने सपा के लिये तथा बघेल ने टीएस सिंहदेव को दूर रख कर कांग्रेस का भट्ठा बिठाया था। राज्य में पार्टी द्वारा मैदान में उतारे गए 90 उम्मीदवारों में से 72 उम्मीदवार हुड्डा द्वारा चुने गए थे और वे सभी उनके वफादार माने जाते थे। टिकट न मिलने से नाराज कई उम्मीदवारों ने हाईकमान से शिकायत की और आखिरकार इस्तीफा दे दिया। हुड्डा के कहने पर मैदान में उतारे गए 72 उम्मीदवारों में से 28 मौजूदा विधायक थे। इन 28 में से 15 चुनाव हार गए। अंत में कांग्रेस और भाजपा के बीच जीत का अंतर (11) मौजूदा विधायकों की संख्या से भी कम रहा, जिन्होंने अपनी सीटें खो दीं।

बंटाधार करने में शैलजा भी पीछे नहीं रहीं

हरियाणा में अपनी राज्य इकाई के भीतर असंतोष और अंदरूनी कलह के खुले प्रदर्शन ने कांग्रेस को चुनावी रूप से काफी नुकसान पहुंचाया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के नेतृत्व वाले दो प्रमुख गुटों ने न केवल कांग्रेस को एक विभाजित इकाई के रूप में चित्रित किया, बल्कि इसने भाजपा को उनके खिलाफ इसका इस्तेमाल करने का मौका भी दिया। मुख्यमंत्री पद पर दावा करने वाली शैलजा के बार–बार बयानों ने इस पुरानी पार्टी के लिए मामले को और खराब कर दिया, क्योंकि भाजपा ने इसका इस्तेमाल कांग्रेस पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाने के लिए किया। नेतृत्व के मुद्दे पर हाईकमान के अनिर्णय ने भी मतदाताओं के एक वर्ग को भ्रमित किया, क्योंकि भाजपा ने पिछले चुनावों के विपरीत, नायब सैनी, एक ओबीसी को अपने सीएम चेहरे के रूप में लेकर चुनाव लड़ा। इसने भगवा पार्टी को गैर–जाट ओबीसी का समर्थन जुटाने का भी मौका दिया।

‘लव जिहाद’ का हवाला देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाने वाले जज के खिलाफ एआईएलएजे ने की कार्रवाई की मांग

हाल ही में उत्तर प्रदेश के बरेली में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश ने मोहम्मद आलिम अहमद नाम के 24 वर्षीय मुस्लिम व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 376–2एन (बार–बार बलात्कार), धारा 506 (आपराधिक धमकी) और धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत सजा सुनाई।

अपने 42 पेज़ के आदेश में न्यायाधीश ने ‘लव जिहाद’ शब्द का भी विस्तार से उल्लेख किया, हालांकि महिला अपनी गवाही से पीछे हट गई थी। अब, ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस (।प्ऱ।श्र), जो संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध वकीलों और कानून के छात्रों का एक अखिल भारतीय संगठन है, ने एक बयान जारी कर उस न्यायिक अधिकारी रवि कुमार दिवाकर की खुली कट्टरता और पूर्वाग्रह की निंदा की है, जिन्होंने अहमद के खिलाफ आदेश दिया था।

एआईएलएजे के बयान में न्यायाधीश दिवाकर ने 5 मार्च, 2024 को पारित अपने पिछले आदेश का उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य का मुखिया एक धार्मिक व्यक्ति होना चाहिए, इसके अलावा आदेश में कई अन्य कथनों को एआईएलएजे ने ”पूर्वाग्रहपूर्ण” और ”कट्टरपंथी” बताया है। एआईएलएजे के बयान में अहमद के खिलाफ दिए गए आदेश की पेज़ संख्या 30 की ओर इशारा किया है, जिसमें कहा गया है, ”उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि विचाराधीन मामला लव जिहाद के ज़रिए एक अवैध धर्मांतरण का मामला है, इसलिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि लव जिहाद है क्या? ”लव जिहाद में, मुस्लिम पुरुष व्यवस्थित रूप से शादी के जरिए इस्लाम में धर्म परिवर्तन के लिए

> एआईएलएजे के बयान में आगे कहा गया है कि जज दिवाकर ने शिकायतकर्ता को यह कहकर बदनाम किया, 'इस अदालत के अनुसार, जब पीड़िता अपने माता-पिता के साथ नहीं रहती है, और किराए के घर में अकेली रहती है, और जब वह अदालत में पेश होती है तो वह एक एंड्रॉयड फोन लेकर आती है।

हिंदू महिलाओं को निशाना बनाते हैं और मुस्लिम पुरुष हिंदू महिलाओं को प्यार का नाटक करके उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए उनसे शादी करते हैं, जैसा कि उपरोक्त मामले में, आरोपी मोहम्मद अलीम ने अपना हिंदू नाम आनंद बताया और वादी/पीड़िता को धोखा दिया, उससे हिंदू रीति–रिवाजों के अनुसार शादी की और उसके साथ बलात्कार किया और उसकी फोटो और वीडियो भी बना ली और उसके बाद कई बार उसके साथ बलात्कार किया।

"लव जिहाद का मुख्य उद्देश्य एक विशेष धर्म के कुछ अराजकतावादी तत्वों द्वारा जनसांख्यिकीय युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत भारत पर प्रभुत्व स्थापित करना है। "सरल शब्दों में कहा जाए तो, लव जिहाद मुस्लिम पुरुषों द्वारा गैर–मुस्लिम समुदायों की महिलाओं से प्यार का नाटक करके उनसे शादी करने और उन्हें इस्लाम में परिवर्तित करने की प्रथा है। "लव जिहाद के ज़रिए अवैध धर्मांतरण, किसी धर्म विशेष के कुछ अराजक तत्वों द्वारा किया जाता है या कराया जाता है या वे इसमें सहयोग करते हैं या उस साजिश में शामिल होते हैं। कुछ अराजक तत्व उपरोक्त कृत्य करवाते हैं, लेकिन पूरा धर्म बदनाम होता है। यहां लव जिहाद के मामले में पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।"

एआईएलएजे के बयान में गंभीर रूप से इस बात को कहा गया कि शिकायतकर्ता ने मुकदमे के दौरान स्पष्ट रूप से कहा था कि मुक़दमा हिंदू संगठनों और माता–पिता के दबाव में दर्ज किया गया था। उसने यह भी कहा कि मजिस्ट्रेट के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत दिए गए उसके बयान उसके माता–पिता के दबाव में दिए गए थे।

हालांकि, न्यायाधीश दिवाकर ने शिकायतकर्ता की गवाही को नजरअंदाज करते हुए कहा उसके आरोप में कोई सच्चाई नहीं है क्योंकि "पीड़िता एक शिक्षित महिला है" जिसके माता–पिता के दबाव में आने की संभावना नहीं है। एआईएलएजे के बयान में आगे कहा गया है कि जज दिवाकर ने शिकायतकर्ता को यह कहकर बदनाम किया, "इस अदालत के अनुसार, जब पीड़िता अपने माता–पिता के साथ नहीं रहती है, और किराए के घर में अकेली रहती है, और जब वह अदालत में पेश होती है तो वह एक एंड्रॉयड फोन लेकर आती है। यह एक रहस्य है कि उसे घर में अकेले रहने, खाने–पीने, कपड़े पहनने और मोबाइल पर बात करने के लिए पैसे कैसे मिलते हैं। "निश्चित रूप से उपरोक्त मामले में वादी/पीड़ित को कुछ आर्थिक मदद दी जा रही है और यह आर्थिक मदद आरोपी के ज़रिए दी जा रही है, और उपरोक्त मामला लव जिहाद के माध्यम से अवैध धर्मांतरण का मामला है।" एआईएलएजे के वक्तव्य में न्यायाधीश दिवाकर द्वारा की गई अन्य व्यापक, अस्पष्ट और असंबद्ध टिप्पणियों को भी सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें निम्न शामिल हैः ' "इसके लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत होती है। इसलिए लव जिहाद में विदेशी फंडिंग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।"

"लव जिहाद के जरिए अवैध धर्मांतरण किसी अन्य बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। यदि भारत सरकार ने समय रहते लव जिहाद के ज़रिए अवैध धर्मांतरण को नहीं रोका तो भविष्य में देश को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।" "लव जिहाद के जरिए हिन्दू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर अवैध धर्मांतरण का अपराध एक विरोधी गिरोह अर्थात सिंडिकेट द्वारा बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जिसमें गैर–मुस्लिमों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) समुदायों के कमजोर वर्गों, महिलाओं और बच्चों का ब्रेनवॉश करके, उनके धर्म के बारे में बुरा बोलकर, देवी–देवताओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करके, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर और उन्हें शादी, नौकरी आदि विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों से लुभाकर भारत में भी पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे हालात पैदा किए जा सकें।" इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि विचाराधीन मामले में वादी/पीड़िता भी ओबीसी वर्ग से आती है और लव जिहाद के ज़रिए उसका अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया गया है।"

"अवैध धर्मांतरण के मुद्दे को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। अवैध धर्मांतरण देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए बड़ा खतरा है।" भारत में दक्षिणपंथी हिंदुत्व विचारधारा का यह लंबे समय से एक तरीका रहा है कि मुसलमान और ईसाई हिंदू धर्म के भीतर तथाकथित 'निम्न' जाति समूहों को निशाना बनाते हैं। यह तरीका धार्मिक कट्टरता को जातिवादी पितृसत्तावाद के साथ जोड़ता है। यह वैचारिक उद्देश्यों के लिए तथ्यों को सुविधाजनक ढंग से पुनः प्रस्तुत करता है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से वंचित जाति समुदायों और व्यक्तियों के पास जाति–ग्रस्त हिंदू धर्म को छोड़कर ऐसे धर्मों को अपनाने के लिए अधिक कारण रहे हैं जो जाति–आधारित भेदभाव को स्वीकार नहीं करते – कम से कम कागजों पर तो ऐसा ही है। इसी तरह, 'निर्दोष' हिंदू महिलाओं की छवि, जो वयस्क होने के बाद भी अपने निर्णय खुद नहीं ले सकती हैं तथा जिन्हें मुस्लिम पुरुषों द्वारा आसानी

से धोखा दिया जा सकता है, दक्षिणपंथी हिंदुत्व समूहों, जिनमें अधिकतर पुरुष हैं, के बीच एक और पसंदीदा है। एआईएलएजे के बयान में एक महत्वपूर्ण अंतर यह बताया गया है कि मामला बलात्कार का था, अवैध धर्मांतरण का नहीं। "फिर भी अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर बातचीत के हौवे में लिप्त हैं, और अंततः यह भी फैसला सुनाते हैं कि यह लव जिहाद के माध्यम से गैरकानूनी धर्मांतरण का मामला है। बयान में कहा गया है कि, "उन्होंने धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत सही आरोप न लगाने के लिए पुलिस की भी आलोचना की और बाद में निर्देश दिया कि उनका फैसला जिले के सभी पुलिस स्टेशनों को भेजा जाए ताकि पुलिस अधिकारियों को अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद के सभी मामलों में धर्मांतरण विरोधी सभी प्रावधानों को शामिल करने के बारे में सूचित किया जा सके।"

एआईएलएजे के बयान में यह भी कहा गया है कि न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि फैसले की प्रतियां उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव को इस इरादे से भेजी जाएं कि वे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 को सख्ती से लागू करें। एआईएलएजे के बयान में आगे कहा गया है कि, "यह सजा का आदेश न केवल उनके दक्षिणपंथी विचारों और मुस्लिम विरोधी भावनाओं के प्रचार के कारण समस्याग्रस्त है, बल्कि महिलाओं की सहमति के बारे में इसकी संदिग्ध समझ के कारण भी समस्याग्रस्त है।" बयान में कहा गया है कि यह कहना कि शिक्षित महिलाएं अपने माता–पिता के दबाव के आगे नहीं झुक सकती हैं, न्यायाधीश दिवाकर भारतीय समाज की पितृसत्तात्मक प्रकृति के बारे में अपनी अज्ञानता प्रकट करते हैं, जहां शिक्षित महिलाएं अक्सर दबाव और बल के माध्यम से रूढ़िवादी और पितृसत्तात्मक प्रभावों के आगे झुक जाती हैं।

न्यायाधीश दिवाकर द्वारा दिए गए फैसले को "सांप्रदायिक, स्त्री–द्वेषी और पितृसत्तात्मक" बताते हुए, एआईएलएजे के बयान में कहा गया है कि यह उस प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाता है जिसके ज़रिए न्यायाधीशों की नियुक्ति, प्रशिक्षण और उनके प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है, और यह उस तत्काल कार्रवाई की कमी को उजागर करता है जब न्यायाधीश अपने पूर्वाग्रहों और राजनीतिक झुकाव के कारण न्याय और समानता के मूलभूत विचारों के साथ विश्वासघात करते हैं। "इस मुक़दमे में, आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांतों और साक्ष्य की सराहना को हवा में उड़ा दिया गया है क्योंकि न्यायाधीश, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अपने पूर्वाग्रहों से प्रेरित होकर, लव जिहाद के अपने पूर्व–कल्पित सांप्रदायिक षड्यंत्र सिद्धांत के अनुरूप सबूतों को जबरन पेश कर रहे हैं। बयान में जोरदार ढंग से इस बात को कहा गया है कि, "हमें यह कहने में संकोच नहीं करना चाहिए कि जब पूर्वाग्रह न्यायाधीश के तर्क पर हावी हो जाते हैं, तो सबसे बड़ी क्षति कानून और संविधान की होती है।"

एआईएलएजे का बयान कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति वेदव्यासचार श्रीशानंद पर सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों की भी याद दिलाता है। मकान मालिक–किराएदार विवाद को संबोधित करते हुए, न्यायमूर्ति श्रीशानंद ने बेंगलुरु के एक मुस्लिम बहुल इलाके को "पाकिस्तान" कहा था। अगर इतना ही काफी नहीं था, तो एक और वीडियो सामने आया जिसमें उसी जज ने एक महिला वकील के बारे में महिला विरोधी टिप्पणी की। वीडियो में, चेक बाउंस होने के एक मामले में, जस्टिस श्रीशानंद एक पुरुष वकील से पूछते हुए देखे जा सकते हैं कि क्या उनका मुवक्किल आयकरदाता है। दूसरे पक्ष की ओर से पेश महिला वकील ने न्यायाधीश के सवाल का सकारात्मक जवाब देते हुए कहा कि मुवक्किल ने रिटर्न दाखिल किया था। इसके बाद न्यायमूर्ति श्रीशानंद को यह कहते हुए देखा जा सकता है कि महिला वकील को दूसरे पक्ष के बारे में सब कुछ पता है। इसके बाद बिना किसी हिचकिचाहट के वह यह कहते नजर आते हैं, "कल आप यह भी बता सकती हैं कि उन्होंने कौन से अंडरगारमेंट्स पहने हैं।"

मामले का खुद संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि, "न्यायाधीशों को इस तथ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर एक निश्चित मात्रा में संचित पूर्वाग्रहों को धारण करता है।" "कुछ अनुभव शुरुआती हो सकते हैं। अन्य बाद में हासिल होते हैं। हर न्यायाधीश को उन पूर्वाग्रहों के बारे में पता होना चाहिए। दिल और आत्मा से निष्पक्ष न्याय करना और निष्पक्ष होने की जरूरत में निहित है। "इस प्रक्रिया में हर जज के लिए अपनी खुद की प्रवृत्तियों के बारे में जागरूक होना ज़रूरी है। इन प्रवृत्तियों के बारे में जागरूकता, निर्णय लेने की प्रक्रिया में पीछे उन्हें छोड़ना पहला कदम है। "इसी जागरूकता के आधार पर एक न्यायाधीश वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष न्याय प्रदान करने के मौलिक दायित्व के प्रति वफादार हो सकता है। न्याय प्रशासन में हर हितधारक को यह समझना होगा कि निर्णय लेने में केवल उन्हीं मूल्यों का मार्गदर्शन होना चाहिए जो भारत के संविधान में निहित हैं।"

एआईएलएजे के बयान में कहा गया है कि यह स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट का संदेश रवि कुमार दिवाकर जैसे न्यायिक अधिकारियों तक नहीं पहुंचा है। इसमें रेखांकित किया गया है कि इससे पहले उनके द्वारा दिए गए पूर्वाग्रही और धर्मांध से भरे बयानों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने "राजनीतिक रंग और व्यक्तिगत विचार" होने के कारण खारिज कर दिया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि न्यायिक अधिकारियों के लिए किसी भी मामले में अपनी व्यक्तिगत या पूर्व–निर्धारित धारणाओं या झुकावों को व्यक्त करना या चित्रित करना उचित नहीं है।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि, "न्यायिक आदेश जनता के लिए होता है और इस तरह के आदेश को जनता द्वारा गलत समझा जा सकता है। एक न्यायिक अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करते हुए बहुत ही सतर्क अभिव्यक्ति का इस्तेमाल करे और ऐसी कोई टिप्पणी न करे जो मूल मुद्दे से अलग हो या उससे अलग हो।" एआईएलएजे के बयान में इस तथ्य पर खेद व्यक्त किया गया है कि न तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की सावधानी और न ही सर्वोच्च न्यायालय के उपदेशों का न्यायाधीश दिवाकर जैसे न्यायिक अधिकारियों पर कोई खास प्रभाव पड़ा।

इसमें न्यायिक प्रणाली की वैधता को बहाल करने के लिए इस तरह के आचरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। न्यायाधीश दिवाकर को "न्यायिक अधिकारी के रूप में बने रहने के लिए अयोग्य" बताते हुए बयान में यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है कि वे न्यायिक अधिकारी के रूप में न बने रहें।

उत्तराखंड की जेलों से 500 से ज्यादा कैदी पैरोल के बाद फरार

उत्तराखंड में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां कोविड काल के दौरान पैरोल पर रिहा किए गए 550 से ज्यादा कैदी पैरोल पूरी होने के बाद भी फरार बताए जा रहे हैं जिनको पकड़ने के लिए उत्तराखंड पुलिस के कोशिश कर रही है लेकिन अभी तक इन कैदियों की कोई भी खबर नहीं है। कोविड के दौरान उत्तराखंड की जेलों में बंद क्षमता से ज्यादा कैदियों को रिहा करने का फैसला सरकार और पुलिस के लिए सर दर्द बना हुआ है। दरअसल कोरोना काल के दौरान साल 2020-1 में उत्तराखंड की जेलों में बंद करीब 800 से ज्यादा कैदियों को पैरोल पर रिहा किया गया था, वही पैरोल खत्म होने के बाद करीब 300 कैदियों ने तो खुद को सरेंडर कर दिया लेकिन 500 से ज्यादा कैदी आज भी पैरोल खत्म होने के बाद वापस जेल में नहीं लौटे हैं जिनमें कई कैदी ऐसे हैं, जो गंभीर अपराध की सजा जेलों में काट रहे थे, इन सभी फरार कैदियों की तलाश में पुलिस जगह-जगह दबिश दे रही है जबकि प्रदेश के सभी 13 जिलों के एसएसपी और एसपी को इन फरार कैदियों की धर पकड़ के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं और अपराधियों पर इनाम की घोषणा की भी तैयारी की जा रही है।

उत्तराखंड पुलिस के प्रवक्ता नीलेश आनंद भरणे का कहना है कि जो कैदी फरार है उनमें से 81 कैदी ऐसे हैं जिनको कोर्ट से बेल मिली थी जबकि कुछ कैदी ऐसे हैं जिनके केस ट्रायल में थे और उन्हें अंतरिम बेल मिली थी, उन्होंने कहा कि फरार कैदियों को पकड़ने के जेल और जिलों की पुलिस प्रयास कर रही है और जल्दी ही फरार कैदियों पकड़कर जेलों में डाला जाएगा। उत्तराखंड की जेलों से पैरोल पर छूटे जो कैदी आज तक वापस जेलों में नहीं लौटे हैं उन्हें तलाशने की कोशिश पिछले कई महीनो से हो रही है लेकिन आज तक पुलिस के हाथ फरार हुए कैदियों तक नहीं पहुंच पाए हैं और जैसे-जैसे समय बित रहा है पुलिस के लिए अपराधियों को ट्रेस करना उतना ही मुश्किल है ऐसे में सवाल यही है कि फरार हुए कैदियों को कैसे पकड़कर वापस जेल में भरा जाए।

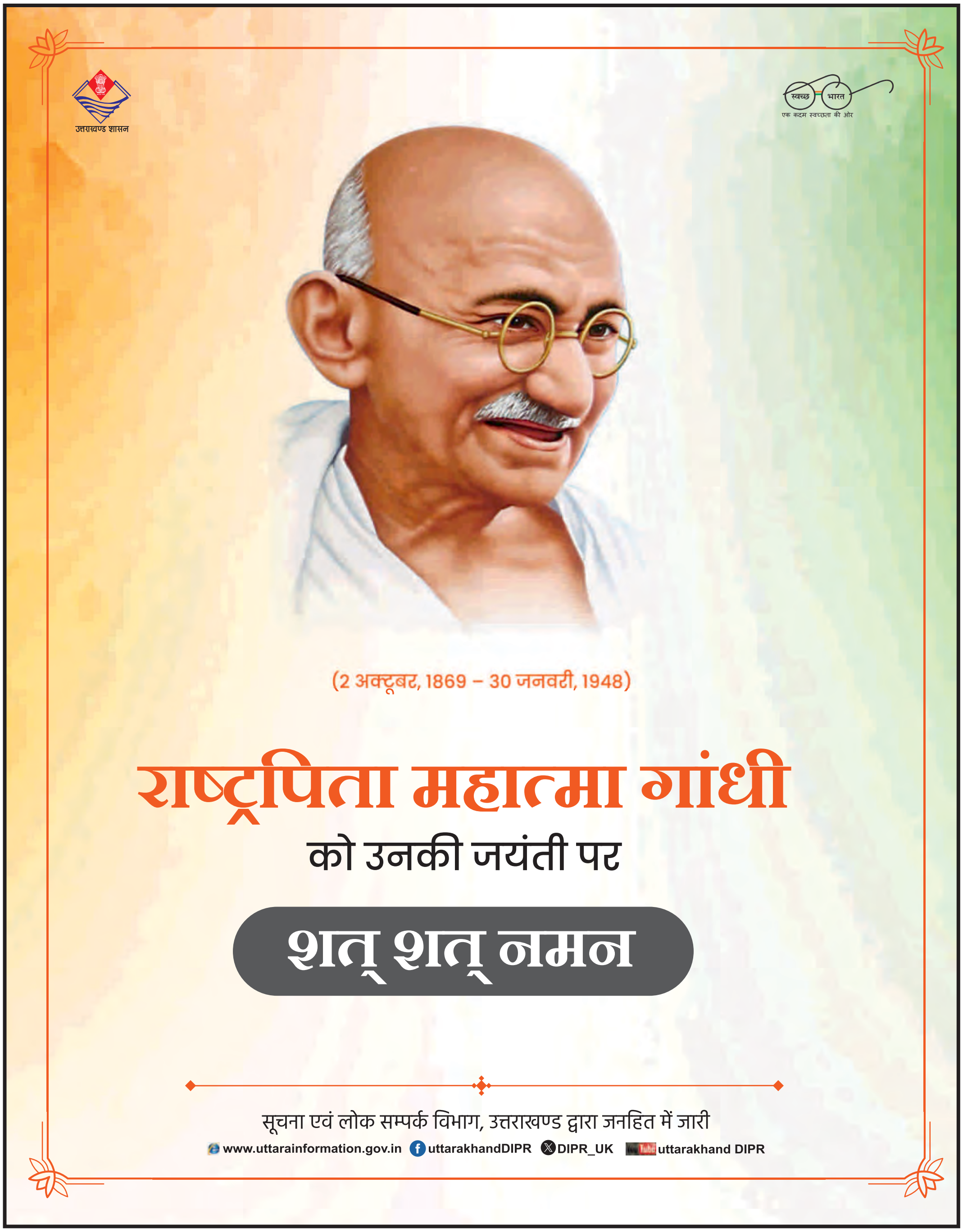

एमडीडीए के अधिकारी उड़ा रहे नियमों की धज्जियां

वर्ष दिसम्बर 2023 में जमीन पर हो रही अवैध प्लॉटिंग की फोटो।

✦ अनियोजित विकास ने बिगाड़ा दून का स्वरूप

✦ अवैध प्लाटिंग पर भी मानचित्र स्वीकृति का चल रहा खेल

✦ नियम विरूध किया जा रहा मानचित्र स्वीकृत

देहरादून। नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने और शहरों व कस्बों को सुनियोजित तरीके से विकसित करने के लिए राज्य सरकारों की ओर से विकास प्राधिकरण स्थापित किए जाते हैं। ताकि किसी भी शहर को योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जा सके और शहर का सौंदर्य बरकरार रखते हुए आम जनमानस को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। इसी क्रम में 1984 में देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की स्थापना की गई। लेकिन क्या एमडीडीए अपना कार्य सही तरीके से कर पा रहा है यह बड़ सवाल है।

एमडीडीए में खुद की बनाई हुई नियमावली की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शहर को बदरंग करने वाले भू माफियाओं की और से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार अवैध प्लॉटिंग की जा रही है, जिसे रोकने के लिए विकास प्राधिकरण ध्वस्तीकरण की कार्यवाही तो करता है, मगर इसके बावजूद भी उसी आवैध प्लॉटिंग को भू–माफियाओं द्वारा विक्रय कर दिया जाता है। यह मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) के लिए काफी गंभीर व हास्यास्पद विषय है। क्योंकि इन अवैध प्लॉटिंग को रोकने व इन पर निगरानी रखने के लिए प्राधिकरण ने सेक्टरवार सुपरवाईजर, जेई व एई को नियुक्त किया है। इसके बावजूद जिस प्लॉटिंग को विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध मानते हुए वाद दायर कर दिया जाता है व ध्वस्तीकरण कर दिया जाता है, उसी अवैध प्लॉटिंग के भूखण्डों को बेच दिया जाता है और इन्हे पता भी नहीं चलता।

इसमें भी ज्यादा आश्चर्य वाली वाली बात यह है कि विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध प्लॉटिंग के बेचे गये भूखण्डों पर नियम के विरूध जाकर मानचित्र (नक्शा) भी स्वीकृत

कर दिया जाता है।

एक मामला सहस्त्रधारा रोड, आमवाला स्कीम के समीप लगभग 7 से 8 बीघा में अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी, जिसमें विकास प्राधिकरण में दिसम्बर 2023 में वाद संख्या सी–1261/एस–6/2023 दायर किया गया था। जो श्री नेगी, गढ़वाल ज्वैलर्स एवं अन्य द्वारा किया जा रहा था। लेकिन छह में एमडीडीए के अधिकारियों द्वारा अवैध प्लॉटिंग कर रहे व्यक्तियों को फायद पहुंचाने के लिए नियम विरुध जा कर इसी आवैध प्लॉटिंग के भूखण्डों पर 08 नक्शे पास कर दिया गया है। **जिसके नक्शे संख्या क्रमशः आर–3919/23–24, आर–3920/23–24, आर–5230/23–24, आर–0957/24–25, आर–0959/24–25, आर–0148/24–25, आर–0196/24–25, आर–0148/24–25, आर–0146/24–25, आर–0348/24–25 है।** ऐसा नहीं है कि यह पूरा मामला मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के संज्ञान में नहीं। अब आप इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर विकास प्राधिकरण के अधिकारी किसी व्यक्ति को फायदा पहुंचाने चाहे तो कैसे–कैसे हथकंडे अपनाते है और नियमावली को तोड़ मरोड़कर अपनी खुद की नियमावली बना लेते हैं।

नक्शा पास हो सकता है : उपाध्यक्ष

वहीं विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी से जब इस विषय में पूछा गया कि क्या जिस अवैध प्लॉटिंग का विकास प्राधिकरण में वाद चल रहा हो और उसके बावजूद भूखण्ड बेच दिया गया हो, उस पर मानचित्र (नक्शा) पास हो सकता है? तो उपाध्यक्ष ने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि हां नक्शा पास किया जा सकता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आर-3 है और पहले से ही 50 प्रतिशत नक्शा पास है तो हो सकता है।

नियमावली के अनुसार मानचित्र स्वीकृत नहीं किया जा सकता

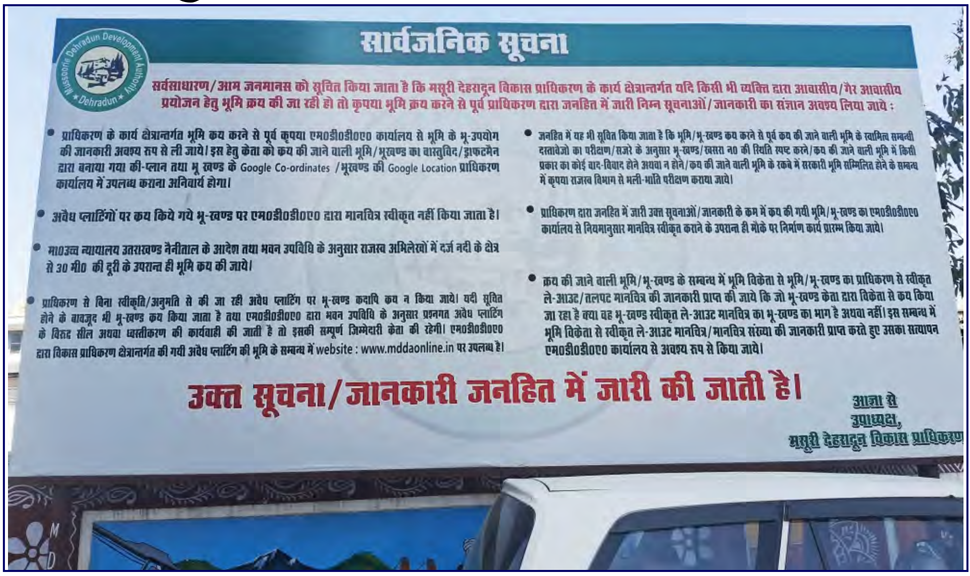

कुछ दिन पहले एमडीडीए के परिसर में सार्वजनिक सूचना का बोर्ड।

वहीं अगर हम मसूरी देहरादून विकास प्राधिकण की नियमावली की बात करे तो खुद विकास प्राधिकण द्वारा अभी कुछ समय पहले ही खुद उनके द्वारा ही जनहित में सार्वजनिक सूचना का बोर्ड लगाया गया था जिसमें बिंदू संख्या 2 में लिखा गया है कि अवैध प्लॉटिंगों पर क्रय किये गये भू–खण्ड पर एमडीडीए द्वारा मानचित स्वीकृत नहीं किया जाता है।

साथ ही बिंदु संख्या चार में लिखा है कि प्राधिकरण से बिना स्वीकृत/अनुमति से की जा रही अवैध प्लाटिंग पर भूखंड कदापि क्रय न किया जाए। यदि सूचित होने के बावजूद भी भूखंड क्रय किया जाता है तथा एमडीडीए द्वारा भवन विधि के अनुसार प्रश्नगत अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध सील अथवा ध्वस्तिकारण की कार्रवाई की जाती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी क्रेता की रहेगी।

अब प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी खुद निर्णय करें कि आखिर उनकी कौन सी बात सही है, या वह परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप खुद प्राधिकरण के नियम बना लेते हैं, या उन्हें नियमों के बारे में जानकारी नहीं है। यह तो अभी सिर्फ एक प्रकरण हैं। ऐसे कई मामले हैं जिसमें नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है। और अगर ऐसे मामलो में मानचित्र स्वीकृत किया जा सकता है, तो फिर प्लॉटिंगो को अवैध मानकर ध्वस्तीकरण का ढोंग क्यों किया जाता है? और आर-3 में अवैध प्लॉटिंग में व्यक्तिगत मानचित्र स्वीकृत किया जा सकता है तो विकास प्राधिकरण में वाद ही क्यों दायर किया जाता है? कहीं इसके पीछे भ्रष्टाचार को कोई बड़ा खेल तो नहीं चल रहा। अब यह तो जांच का विषय है, और तिवारी जी को पता है कि यह जांच कभी नहीं होगी!

31 दिसंबर तक खाली करने का मुसलमानों को अल्टीमेटम

चमोली जिले के गैरसैंण ब्लॉक के खानसर कस्बे में हिंदू चेतना रैली निकालते हुए।

एस.एम.ए. काज़मी
स्वतंत्र पत्रकार

देहरादून, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों खासकर गढ़वाल क्षेत्र में अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी को निशाना बनाने की घटनाएं तेज हो गई हैं। चमोली जिले के गैरसैंण ब्लॉक के खानसर क्षेत्र में रहने वाले मुसलमानों को 31 दिसंबर 2024 तक क्षेत्र खाली करने या परिणाम भुगतने की धमकी दी जा रही है। पिछले डेढ़ महीने में गौचर, नंदघाट और थराली में हुई सांप्रदायिक घटनाओं के बाद हिंदू संगठनों और व्यापार मंडल के स्थानीय व्यापारियों ने 16 अक्टूबर 2024 को चमोली जिले के गैरसैंण ब्लॉक के खानसर कस्बे में 'हिंदू चेतना रैली' निकाली।

खानसर बाजार में निकाली गई रैली के बाद स्थानीय व्यापार मंडल के अध्यक्ष बलदेव सिंह नेगी के नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से दो प्रस्ताव पारित किए गए। पहले प्रस्ताव में कहा गया है कि खानसर क्षेत्र में रहने वाले एक विशेष समुदाय के लोग 31

दिसंबर 2024 तक क्षेत्र छोड़ दें, अन्यथा उन पर और उनके मकान मालिकों पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा। बैठक में 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की गई है। दूसरे प्रस्ताव में यह निर्णय लिया गया है कि क्षेत्र में किसी भी बाहरी व्यक्ति को सामान बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी और गांवों में कोई भी सामान बेचते पकड़े जाने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

मैदानी क्षेत्रों के लोग पिछले एक सदी से भी अधिक समय से पहाड़ों में गांव-गांव जाकर कपड़े, चूड़ियां, बर्तन और अन्य सामान बेचते हैं। इससे पहले 1 सितंबर 2024 को नांदघाट की घटना के बाद, जहां एक मुस्लिम नाई द्वारा नाबालिग लड़की को अश्लील इशारे करने की कथित घटना के बाद अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी पर हमला किया गया और उन्हें भागने पर मजबूर किया गया था, चौरास, गौचर और गोपेश्वर में कई घटनाएं हुई थीं, जिसमें मुसलमानों को निशाना बनाया गया था और यहां तक कि उनके पूजा स्थलों में भी तोड़फोड़ की गई थी। दिलचस्प बात यह है कि नंदघाट की घटना के बाद सितंबर के महीने में चमोली जिले के इस इलाके में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाले सार्वजनिक बोर्ड लगाए गए थे।

मीडिया में हंगामे के बाद उत्तराखंड पुलिस ने ग्रामीणों को गैर-हिंदू शब्द हटाने के लिए राजी किया, लेकिन बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाले बोर्ड लगा दिए गए। देहरादून से चमोली तक 'लव जिहाद', 'लैंड जिहाद' और हाल ही में 'थूक जिहाद' के नाम पर नफरत भरे भाषण और मुसलमानों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। एक हिंदू संगठन के 'शस्त्र पूजन' समारोह में नफरत भरे भाषण दिए गए, जहां एक 'संत' ने खुलेआम कहा कि 'विदर्मियों' (गैर-हिंदुओं) की हत्या करना कोई पाप नहीं है और ऐसा करने वालों को 'मोक्ष' (स्वर्ग) में जगह मिलेगी। इससे पहले जून 2023 में, उत्तरकाशी जिले के पुरोला कस्बे में दो युवकों - एक मुस्लिम और दूसरा हिंदू - के खिलाफ 'लव जिहाद' के झूठे आरोप लगाए जाने के बाद हिंदू संगठनों ने मुसलमानों की दुकानों पर पोस्टर चिपका दिए थे। बाद में उत्तरकाशी सत्र न्यायालय ने दोनों युवकों को आरोपों से बरी कर दिया।

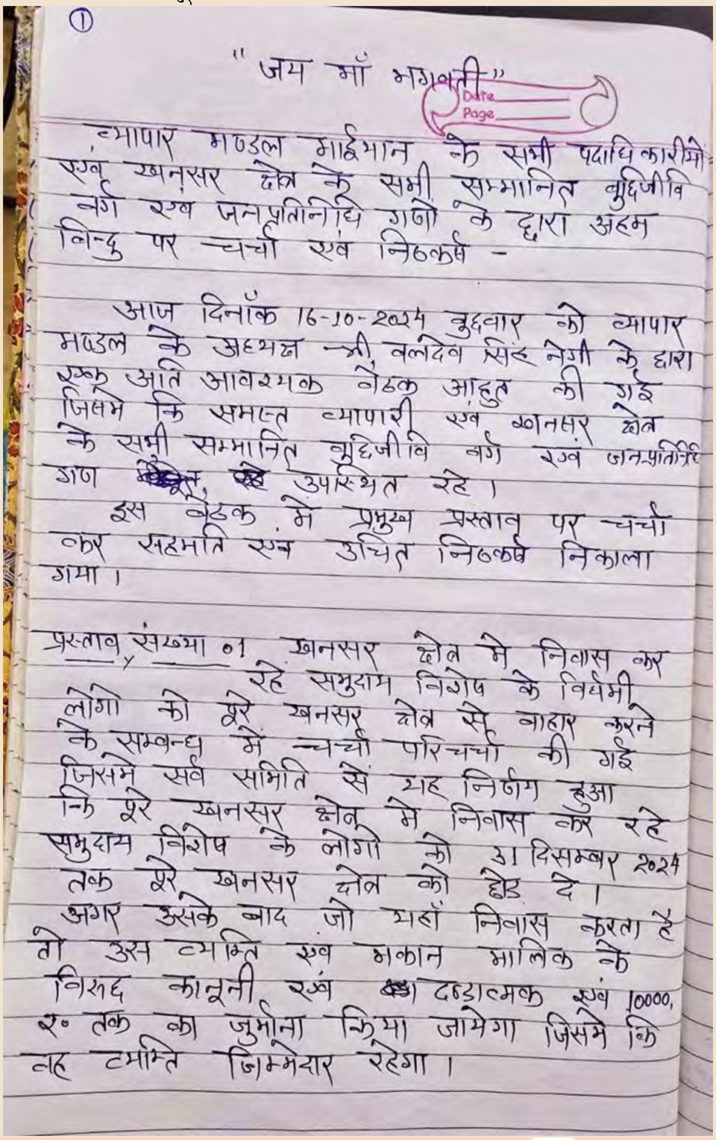
①

"जय माँ भगवती"

व्यापार मण्डल माईथान के सभी पदाधिकारी एवं खनसर क्षेत्र के सभी सम्मानित बुद्धिजीवि वर्ग एवं जनप्रतिनिधि गणो के द्वारा अहम बिन्दु पर चर्चा एवं निष्कर्ष -

आज दिनाँक 16-10-2024 बुधवार को व्यापार मण्डल के अध्यक्ष श्री बलदेव सिंह नेगी के द्वारा एक अति आवश्यक बैठक आहुत की गई जिसमे कि समस्त व्यापारी एवं खनसर क्षेत्र के सभी सम्मानित बुद्धिजीवि वर्ग एवं जनप्रतिनिधि गण उपस्थित रहे।

इस बैठक मे प्रमुख प्रस्ताव पर चर्चा कर सहमति एवं उचित निष्कर्ष निकाला गया।

प्रस्ताव संख्या 01 खनसर क्षेत्र मे निवास कर रहे समुदाय विशेष के विधर्मी लोगो को पूरे खनसर क्षेत्र से बाहर करने के सम्बन्ध मे चर्चा परिचर्चा की गई जिसमे सर्व समिति से यह निर्णय हुआ कि पूरे खनसर क्षेत्र मे निवास कर रहे समुदाय विशेष के लोगो को 31 दिसम्बर 2024 तक पूरे खनसर क्षेत्र को छोड़ दे। अगर उसके बाद जो यहाँ निवास करता है तो उस व्यक्ति एवं मकान मालिक के विरुद्ध कानूनी एवं दण्डात्मक एवं 10000, रु. तक का जुर्माना किया जायेगा जिसमे कि वह व्यक्ति जिम्मेदार रहेगा।

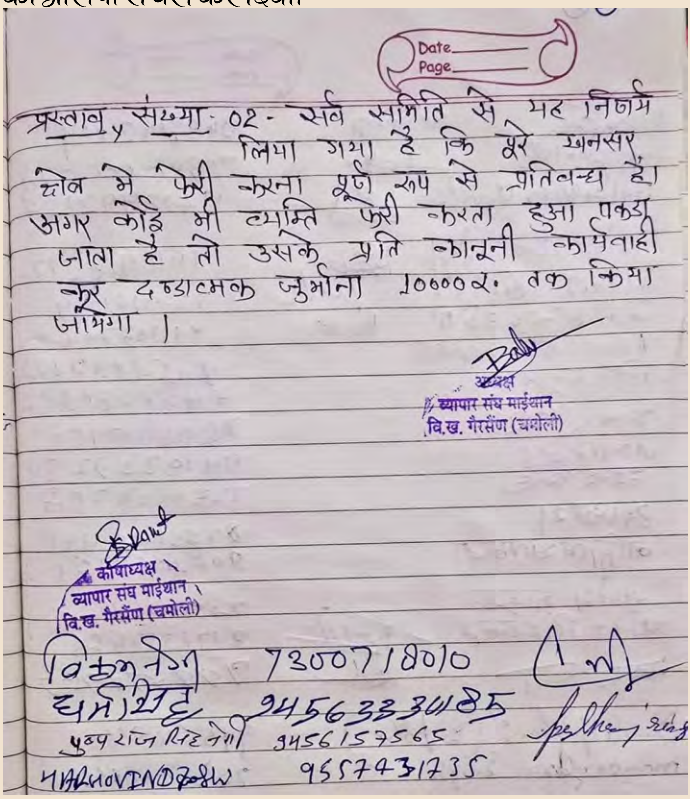
प्रस्ताव संख्या 02 - सर्व समिति से यह निर्णय लिया गया है कि पूरे खनसर क्षेत्र मे फेरी करना पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध है। अगर कोई भी व्यक्ति फेरी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके प्रति कानूनी कार्यवाही कर दण्डात्मक जुर्माना 10000 रु. तक किया जायेगा।

अध्यक्ष
व्यापार संघ माईथान
वि.ख. गैरसैंण (चमोली)

कोषाध्यक्ष
व्यापार संघ माईथान
वि.ख. गैरसैंण (चमोली)

विक्रम नेगी 7300718010
धर्म सिंह 9456333485
पुष्पराज सिंह नेगी 9456157565
HARGOVIND [illegible] 9557431735

धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का अभिन्न अंग

प्रो वंदिनी कुमारी
लेखिका समाज शास्त्र की प्रोफेसर हैं और उत्तर प्रदेश में एक डिग्री कॉलेज में कार्यकर्ता हैं।

> **"अगर धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया गया तो सत्ताधारी दल का धर्म ही देश का धर्म बन जाएगा: सुप्रीम कोर्ट"**

धर्म निरपेक्षता हमेशा से बहुल धार्मिक व बहुसांस्कृतिक समाजों की पूर्वावश्यकता रही है। जब कि "धर्म निरपेक्ष–राज्य" आधुनिक अवधारणा है यह आधुनिक राष्ट्र–राज्य की संकल्पना के साथ उद्भूत होती है और बहुल धर्मिक एवं विषम जातीय समाजों की आदर्श जीवन विधि के रूप में मानी जाती है। धर्म निरपेक्षता का संबंध व्यक्ति या समाजों से अधिक "राष्ट्र–राज्य" से है। व्यक्ति जिस समाज में रहता है उस समाज की संस्कृति के अनुसार उसकी जीवन–विधि निर्धारित होती है और लगभग हर समाज की संस्कृति में धर्म की अहम भूमिका होती है जो उस समाज की नैतिकता की निर्मिति में अपना योगदान देती है। समाज या उसकी निर्मायक इकाई 'व्यक्ति' धर्म निरपेक्ष नहीं होते बल्कि आधुनिक 'राष्ट्र–राज्यों' से यह अपेक्षा की जाती है कि वो सार्वजनिक जीवन में धर्म निरपेक्ष आचरण का पालन करें।

भारत के संदर्भ में हम देखे तो प्राचीनकाल में यहाँ पर कई धर्म निरपेक्ष शासक हुए, जो विभिन्न धर्मों और सांस्कृतिक समूहों के प्रति सहिष्णुता और समानता का प्रदर्शन करते थे। इनमें प्रमुख है मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक (273–232 ईसा पूर्व), जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और हिंसा का त्याग किया। इन्होंने सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाया और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। इसी प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य (324–297 ईसा पूर्व) ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था, जिसमें विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग रहते थे। उनके शासनकाल में धर्म के आधार पर भेदभाव की कोई नीति नहीं थी, और उन्होंने एक धर्म निरपेक्ष शासन की स्थापना की। गुप्त शासक समुद्र गुप्त (335–375 ईस्वी) ने भी धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उन्होंने हिंदू धर्म को मानने के बावजूद अन्य धर्मों के अनुयायियों के प्रति सम्मान रखा और उनके धार्मिक संस्थानों को संरक्षण दिया। हर्षवर्धन (606–647 ईस्वी) ने भी अपने राज्य में धर्म निरपेक्षता का पालन किया। मध्यकालीन भारत में भी कई ऐसे शासक हुए जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता का पालन किया और अपने राज्य में सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार किया। इनमें प्रमुख हैं मुग़ल सम्राट अकबर (1556–1605) जिनको धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक सहिष्णुता के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। अकबर ने विभिन्न धर्मों के लोगों को अपने दरबार में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया और "सुलह–ए–कुल" की नीति अपनाई, जिसका मतलब था किस भी धर्मों

धर्म निरपेक्षता का मतलब यहाँ यह है कि राज्य किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देता, बल्कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। यह विचार भारत की विविधता और बहुलतावाद को ध्यान में रखते हुए विकसित हुआ है, जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग सदियों से साथ रहते आए हैं।

के प्रति समान व्यवहार। अकबर के शासन काल में हिंदू–मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया गया, और जजियाकर (गैर–मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला कर) को समाप्त कर दिया गया। शेर शाहसूरी (1540–1545) का नाम भी मध्यकाल के उदार शासकों में लिया जाता है जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रजा के साथ समान व्यवहार किया और प्रशासन में दोनों धर्मों के लोगों को स्थान दिया। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के मुहम्मद बिन तुगलक (1325–1351) ने सभी धर्मों के विद्वानों और विचारकों को अपने दरबार में स्थान दिया और उनके साथ चर्चा की। बीजापुर के शासक इब्राहीम आदिल शाह द्वितीय (1580–1627) भी धर्म निरपेक्षता के प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने अपने दरबार में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के कलाकारों और विद्वानों को जगह दी और उनकी रचनाओं में दोनों धर्मों की संस्कृतियों का प्रभाव देखा जा सकता है। विजय नगर साम्राज्य के राजा कृष्ण देवराय (1509–1529) भी एक धर्म निरपेक्ष शासक थे। वे हिंदू थे, लेकिन उन्होंने अपने राज्य में मुस्लिम सैनिकों और अधिकारियों को भी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। उनके शासनकाल में सभी धर्मों के लोगों को समान रूप से न्याय और संरक्षण प्राप्त हुआ।

आधुनिक भारत में धर्म निरपेक्षता की अभिव्यक्ति भारतीय संविधान और समाज में गहराई से जुड़ी हुई है। धर्म निरपेक्षता का मतलब यहाँ यह है कि राज्य किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देता, बल्कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। यह विचार भारत की विविधता और बहुलतावाद को ध्यान में रखते हुए विकसित हुआ है, जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग सदियों से साथ रहते आए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित हैं, जो हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने, उसका प्रचार करने और आचरण करने का अधिकार देते हैं। यह अधिकार न केवल व्यक्तिगत रूप से, बल्कि सामूहिक रूप से भी मान्य है। भारत में हमेशा से धर्म निरपेक्षता का मुद्दा सार्वजानिक वाद–विवाद और परिचर्चाओं में मौजूद रहा है। एक तरफ जहाँ हर राजनीतिक दल धर्म निरपेक्ष होने की घोषणा करता है वही धर्म निरपेक्षता के संदर्भ में कुछ पेचीदा मामले हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं भारत में धर्मनिरपेक्षता समय–समय पर धार्मिक कट्टरवाद, उग्र राष्ट्रवाद तथा तुष्टीकरण की नीति के कारण शंकाओं एवं विवादों में घिरी रहती है। आधुनिक संदर्भों में धर्म निरपेक्षता एक जटिल तथा गत्यात्मक अवधारणा है। इस अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम यूरोप में किया गया। यह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें धर्म से संबंधित विचारों को इहलोक संबंधित मामलों से जानबूझकर दूर रखा जाता है अर्थात्त टस्थ रखा जाता है। धर्म निरपेक्षता राज्य द्वारा किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान करने से रोकती है। धर्म निरपेक्षता का अर्थ है कि राजनीतिया किसी गैर–धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव न करे। धर्म निरपेक्षता का अर्थ किसी के धर्म का विरोध करना नहीं है बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं को पूरी आज़ादी से मानने की छूट देता है। धर्म निरपेक्ष राज्य में उस व्यक्ति का भी सम्मान होता है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता है धर्म निरपेक्षता के संदर्भ में धर्म, व्यक्ति का नितांत निजी मामला है, जिसमे राज्य तब तक हस्तक्षेप नहीं करता जब तक कि विभिन्न धर्मों की मूलधारणाओं में आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो। भारतीय परिप्रेक्ष्य में संविधान के निर्माण के समय से ही इसमें धर्म निरपेक्षता की अवधारणा निहित थी जो संविधान के भाग–3 में वर्णित मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद–25 से 28) से स्पष्ट होती है। भारतीय संविधान में पुनः धर्म निरपेक्षता को परिभाषित करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनयम, 1976 द्वारा इसकी प्रस्तावना में 'पंथ निरपेक्षता' शब्द को जोड़ा गया। पश्चिमी धर्म निरपेक्षता जहाँ धर्म एवं राज्य के बीच पूर्णतः संबंध विच्छेद पर आधारित है, वहीं भारतीय संदर्भ में यह अंतर–धार्मिक समानता पर आधारित है। पश्चिम में धर्म निरपेक्षता का पूर्णतः नकारात्मक एवं अलगाववादी स्वरूप दृष्टि गोचर होता है, वहीं भारत में यह समग्र रूप से सभी धर्मों का सम्मान करने की संवैधानिक मान्यता पर आधारित है।

धर्म निरपेक्षता संविधान के मूल ढाँचे का अभिन्न अंग है जिसकी पुष्टि एस.आर.बोम्मई बनाम भारत गणराज्य मामलें में वर्ष 1994 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में किया गया कि अगर धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया गया तो सत्ताधारी दल का धर्म ही देश का धर्म बन जाएगा। अतः राजनीतिक दलों को सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय पर अमल करने की आवश्यकता है। किसी भी धर्म निरपेक्ष राज्य में धर्म विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत मामला है। अतः जन प्रतिनिधियों को चाहिये कि वे इसका प्रयोग वोट बैंक के रूप में करने से बचें। भारतीय राज्य का धर्म निरपेक्ष चरित्र वस्तुतः इसी वजह से बरकरार है कि वह किसी धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता है। इस धार्मिक समानता को हासिल करने के लिये राज्य द्वारा अत्यंत परिष्कृत नीति अपनाई है। अपनी इसी नीति के चलते वह स्वयं को पश्चिम से अलग भी कर सकता है तथा जरूरत पड़ने पर उसके साथ संबंध भी स्थापित कर सकता है।

भारतीय राज्यों द्वारा समय–समय पर धार्मिक अत्याचार का विरोध करने तथा राज्य के हित में धर्म निरपेक्षता के महत्त्व को समझाने के लिये धर्म के साथ निषेधात्मक संबंध भी स्थापित किया गया हैं। यह दृष्टिकोण अस्पृश्यता पर प्रतिबंध, तीन तलाक, सबरी माला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश जैसी कार्रवाइयों में स्पष्ट रूप से झलकता है।

हरियाणा परिणाम :

कांग्रेस और भाजपा में सिर्फ 1 फीसदी मत का अंतर

सुबोध वर्मा
लेखक

हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस की सीटों की संख्या में भारी अंतर के बावजूद दोनों को मिलने वाला वोट शेयर बहुत करीब है।

हरियाणा और जम्मू–कश्मीर में विधानसभा चुनावों के नतीजे आम लोगों के लिए थोड़े चौंकाने वाले रहे हैं, मुख्यतः इसलिए क्योंकि ये नतीजे मौजूदा नेरेटिव के बिलकुल उलट आए हैं। हरियाणा के मामले में देखें तो, मीडिया में लगभग आम सहमति थी कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है और उसके जीतने की संभावना काफी है। एग्जिट पोल ने भी इस बात की पुष्टि की थी, जिसमें कांग्रेस की निर्णायक जीत की भविष्यवाणी की गई थी। जम्मू–कश्मीर में, सामान्य जानकारी यही दर्शा रही थी कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के कश्मीर घाटी की 48 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना नहीं है, इसलिए उसके सरकार बनाने की संभावना नहीं है, लेकिन उनके स्पिन–मास्टर और टिप्पणीकारों की एक समर्पित सेना ने यह तर्क देने की कोशिश की कि बीजेपी घाटी में भी सफलता हासिल कर सकती है, आदि आदि।

लेकिन 8 अक्टूबर को आए नतीजों में हरियाणा में भाजपा की स्पष्ट जीत और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाले गठबंधन की स्पष्ट जीत दिखाई दी। इस अप्रत्याशित परिणाम को समझने से पहले, यहां मुख्य आंकड़े दिए गए हैं जिन पर गौर करने की जरूरत है। 90 सदस्यीय मौजूदा हरियाणा विधानसभा में भाजपा को 48 सीटें मिलीं, जो कि बहुमत के लिए जरूरी 45 सीटों से तीन ज्यादा हैं, जबकि कांग्रेस को 37 सीटें मिलीं हैं। इसके अलावा, दो सीटें इंडियन नेशनल लोकदल को मिलीं, जो कि पूर्ववर्ती सत्तारूढ़ पार्टी की एक फीकी सी छाया है, और तीन सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीतीं हैं। जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) जो कि भाजपा की पूर्व सहयोगी और निवर्तमान सरकार में भागीदार थी, को एक भी सीट नहीं मिली है।

जम्मू–कश्मीर विधानसभा के लिए भी 90 सीटों के लिए चुनाव हुए, जिनमें से नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने 49 सीटें जीतीं, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42, कांग्रेस को 6 और सीपीआई (एम) को एक सीट मिली है। इस प्रकार, गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल गया

है। वास्तव में, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के पास, जम्मू–कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 (जिसे 2023 में संशोधित किया गया था) के अनुसार पांच सदस्यों को नामित करने का अधिकार है। अगर इन्हें शामिल भी कर लिया जाए, तो भी एनसी गठबंधन को बहुमत मिल गया है।

हरियाणाः वोट शेयर अलग तस्वीर दिखाते हैं

हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस की सीटों की संख्या में भारी अंतर के बावजूद दोनों को मिलने वाला वोट शेयर बहुत करीब है। भाजपा ने हरियाणा लोकहित पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और इन दोनों का संयुक्त वोट शेयर 40.4 फीसदी है, जिसमें से भाजपा को 39.9 फीसदी वोट मिले हैं। कांग्रेस ने सीपीआई(एम) के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और गठबंधन का संयुक्त वोट शेयर 39.4 फीसदी है, जबकि कांग्रेस को अकेले 39.1 फीसदी वोट मिले हैं।

इसलिए, दोनों गठबंधनों के बीच का अंतर मात्र 1 फीसदी है। इसका मतलब यह है कि ये कुल लगभग 1.6 लाख वोट ही बैठेंगे। 2019 के पिछले चुनाव और तीन महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव के बाद से उनके संबंधित वोट शेयरों का प्रक्षेपवक्र अधिक दिलचस्प है। 2019 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को 36.5 फीसदी वोट मिले थे और फिर 2024 के लोकसभा चुनावों में, वह 46.1 फीसदी शेयर पाने में सफल रही थी। इसलिए, जबकि इसने 2019 के बाद से अपने वोट शेयर में थोड़ा सुधार किया है – लगभग 3.4 प्रतिशत अंकों का सुधार – लेकिन यह आंकड़ा लोकसभा चुनावों की तुलना में पिछड़ गया जब इसे 46.1 फीसदी वोट मिले थे।

कांग्रेस के वोट शेयर की कहानी कुछ और ही हैः 2019 के विधानसभा चुनावों में उसका वोट शेयर सिर्फ़ 28.1 फीसदी था। इसलिए, तब से इसने अपने प्रदर्शन में 11 प्रतिशत अंकों का सुधार किया है। इस साल की शुरुआत में हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को 43.7 फीसदी वोट मिले थे, जहां से वह भी भाजपा की तरह घटकर 39.1 फीसदी पर आ गई है।

दोनों पार्टियों को वोट मिलने का मुख्य कारण जेजेपी का पतन नज़र आता है, जो इस चुनाव में लगभग समाप्त हो गई है। जेजेपी भाजपा के साथ सरकार में थी और 2020–21 में तीन कृषि कानूनों के खिलाफ साल भर चले संघर्ष के दौरान किसानों के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न में मिलीभगत के लिए (भाजपा के साथ) इसकी भी भारी आलोचना हुई थी।

इसका मतलब यह है कि 2020 के किसान आंदोलन के बाद से ही कृषि समुदायों में भाजपा के प्रति असंतोष पनप रहा था, जिसके परिणामस्वरूप कांग्रेस के वोट शेयर में वृद्धि हुई है। भयंकर बेरोजगारी, कमरतोड़ महंगाई, खासकर ईंधन और खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ना, और लगातार कम आय/मजदूरी के साथ गंभीर आर्थिक स्थिति से असंतोष और भी बढ़ गया था। इसलिए, भाजपा और उसकी सहयोगी जेजेपी के खिलाफ नकारात्मक वोटों का एकीकरण हुआ है, क्योंकि सत्तारूढ़ दलों के खिलाफ व्यापक गुस्सा था।

कृषि उपज के कम लाभ, बढ़ती लागत और कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की वैधानिक गारंटी पर विचार करने से भाजपा सरकार के हठधर्मिता से पैदा हुए कृषि संकट ने ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक आक्रोश पैदा किया है। यह ग्रामीण सीटों के परिणामों में नज़र आता हैः कांग्रेस ने 20 ग्रामीण सीटों में से 11 पर जीत हासिल की और 44 फीसदी से अधिक वोट शेयर हासिल किया, जबकि भाजपा को नौ सीटें और 41 फीसदी वोट मिले।

अन्य मुख्य रूप से कृषि–आधारित पार्टियां – जैसे कि आईएनएलडी और जेजेपी – इन ग्रामीण सीटों से केवल 4.3 फीसदी वोट ही जुटा पाईं और इन दोनों ने मिलकर एक भी ग्रामीण सीट नहीं जीती। 44 अर्ध–शहरी या 'ग्रामीण' सीटों में से भी, कांग्रेस को भाजपा (37 फीसदी) की तुलना में 39.3 फीसदी का बड़ा वोट शेयर मिला, लेकिन सीट की संख्या में उसे हार का सामना करना पड़ा। भाजपा की 23 सीटों की तुलना में इसने 18 'शहरी' सीटें जीती हैं।

शहरी झुकाव और जाट विरोधी मतों का एकीकरण

शहरी इलाकों में ही भाजपा ग्रामीण इलाकों में हुए घाटे की भरपाई करने में सफल रही। याद रखें कि हरियाणा में शहरीकरण की दर अपेक्षाकृत अधिक है – लगभग 35 फीसदी है, जबकि राष्ट्रीय औसत 31 फीसदी की है। 26 शहरी सीटों में से भाजपा ने 16 सीटें जीतीं, जिसका वोट शेयर 46.3 फीसदी रहा, जबकि कांग्रेस ने आठ सीटें जीतीं, जिसका वोट शेयर लगभग 36 फीसदी रहा। दो सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गई हैं।

शहरी क्षेत्र लंबे समय से भाजपा के पक्ष में रहे हैं और कई समुदाय शहरी इलाकों में अधिक केंद्रित हैं, जिनमें अनुसूचित जातियां, पंजाबी और कुछ अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) शामिल हैं। जाट समुदाय की ओर कांग्रेस के कथित झुकाव का इस्तेमाल भाजपा ने बेईमान जाति–आधारित ध्रुवीकरण अभियानों के माध्यम से अन्य जातियों और समुदायों को एकजुट करने के लिए किया, जो शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दिया।

दलित वोट कांग्रेस और भाजपा के बीच लगभग बराबर बंटते हुए नज़र आया, दोनों को 44 फीसदी वोट शेयर मिला, हालांकि कांग्रेस को कुल 17 आरक्षित सीटों में से नौ और भाजपा को आठ सीटें मिलीं हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी, जिसने आईएनएलडी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, उसे 2.4 फीसदी वोट और कोई सीट नहीं मिली, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद 'रावण' की आज़ाद समाज पार्टी (जेजेपी के साथ चुनाव लड़ रही थी) को इन आरक्षित सीटों पर मात्र 0.2 फीसदी वोट ही मिले हैं।

चुनावी रणनीति का संतुलन बिगड़ा

कांग्रेस और भाजपा गठबंधन के बीच का अंतर इतना कम है कि कुछ चुनावी रणनीतियां कांग्रेस की हार के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, कांग्रेस द्वारा उम्मीदवारों के चयन के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और जाट राजनीति में एक प्रभावशाली व्यक्ति भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर पूरी तरह से निर्भर रहने के कारण कांग्रेस में गुटबाजी खुलकर सामने आई। कथित तौर पर हुड्डा कांग्रेस पार्टी में 78 टिकट देने के लिए जिम्मेदार थे। दलित नेता और कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कथित तौर पर इस गुटबाजी के कारण कई दिनों तक खुद को प्रचार से अलग कर लिया था।

दोनों मुख्य पार्टियों से कुल 26 बागी उम्मीदवार मैदान में थे। हालांकि उनमें से केवल तीन ही जीते (दो भाजपा और एक कांग्रेस), ऐसा लगता है कि बागियों ने 15 सीटों पर अपनी–अपनी मूल पार्टियों की जीत की संभावनाओं को बिगाड़ दिया, जिनमें से 10 कांग्रेस से थे।

रुद्रनाथ : धर्म के मार्ग का गेटवे

रुद्रनाथ उत्तराखंड के चमोली जिले का एक जाना माना गाँव है। यह स्थान समुद्र तल से 2286 मीटर की ऊंचाई पर है और बर्फ से ढकी हुई हिमालय की घंटियों का अद्भुत द्रश्य प्रदान करता है। रुद्रनाथ शब्द का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसे गुस्सा आता है। यह गाँव अपने रुद्रनाथ मंदिर के कारन जाना जाता है जो कि पंच केदार तीर्थयात्रा में तीसरे नंबर पर आता है। इस सर्किल के चार अन्य मन्दिर केदारनाथ मंदिर, तुंगनाथ मंदिर, मध्यमहेश्वर मंदिर, और कल्पेश्वर मंदिर आदि हैं।

> **"यह स्थान कई पानी के कुंडों से घिरा हुआ है जिनमे सूर्य कुंड, चन्द्र कुंड, तारा कुंड, मानकुंड आदि मुख्य हैं।"**

रुद्रनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है जिनकी यहाँ पर नीलकंठ महादेव के रूप में पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर पांडवों के द्वारा बनाया गया था।

कहानी के अनुसार पांडव भगवान् शिव से क्षमा चाहते थे क्यूँ कि वे महाभारत के युद्ध में कोरवों को मारने के दोषी थे, पर भगवान् शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे इसलिए उन्होंने अपने आप को नंदी बैल के रूप में बदल लिया और गडवाल क्षेत्र में कहीं छिप गए। इसके तुरंत बाद भगवान शिव का शरीर चार अलग अलग भागों में

रुद्रनाथ ट्रेकिंग मार्ग का सबसे ऊँचा पॉइंट पित्रधर है जो कि समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। एकाग्रता और शांति इस स्थान की सुन्दरता को बढ़ाते हैं।

विभाजित हो गया। जहाँ भगवान शिव का सिर पाया गया वहां पर रुद्रनाथ मंदिर बना है। यह स्थान कई पानी के कुंडों से घिरा हुआ है जिनमे सूर्य कुंड, चन्द्र कुंड, तारा कुंड, मानकुंड आदि मुख्य हैं। हाथी पर्वत, नंदा देवी, नंदा घुंटी, और त्रिशूल आदि कई सुंदर चोटियों को इस पवित्र स्थान से देखा जा सकता है।

क्या है रुद्रनाथ के आस पास

यात्री इस मंदिर तक सागर गाँव और जोशीमठ द्वारा ट्रैक मार्ग द्वारा पहुँच सकते हैं। रास्ते में कई सुंदर घास के मैदान देखे जा सकते हैं। जिनमे से एक पनार बुगियल है जो कि सुंदर वन्य फूलों से सजा - सवरा हुआ है। इस घास के मैदान के पास एक झरना और मंदिर स्थित है। रुद्रनाथ ट्रेकिंग मार्ग का सबसे ऊँचा पॉइंट पित्रधर है जो कि समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। एकाग्रता और शांति इस स्थान की सुन्दरता को बढ़ाते हैं। इस स्थान का दूसरा आकर्षण नंदी कुंड है जो कि एक मनोहारी झील है और बर्फ से ढंकी चोटियों से घिरी हुई है। पोराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव की सवारी नंदी बैल इसी झील में पानी पिया करते थे। यात्री झील में चौखम्बा चोटी का प्रतिबिम्ब भी देख सकते हैं।

कैसे जाएं रुद्रनाथ

रुद्रनाथ जाने वाले पर्यटक यहाँ एयर, रेल और रोड द्वारा पहुँच सकते हैं। देहरादून स्थित जॉली ग्रांट हवाई अड्डा यहाँ का निकटतम एयरबेस है। गोपेश्वर से एक ट्रेकिंग मार्ग भी रुद्रनाथ को जाता है। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन यहाँ का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है। रुद्रनाथ के लिए बसें ऋषिकेश, देहरादून, कोटद्वार और हरिद्वार से आसानी से उपलब्ध हैं।

रुद्रनाथ जाने का सबसे अच्छा समय

आराम और सुहावने मौसम के कारण अप्रेल से नवम्बर का समय इस स्थान कि यात्रा के सबसे उत्तम समय है।

सभार : nativeplanet

बेड के आस-पास नहीं रखें ये चीजें, उन्नति में पहुंचाती हैं बाधा

अगर नींद अच्छी आती है, तो अगले दिन की शुरुआत अच्छी होती है। हर काम में मन लगा रहता है। जो लोग गहरी नींद में सोते हैं, उठने के बाद उनकी ऊर्जा उतनी ही अधिक होती है। दरअसल, जब कोई व्यक्ति गहरी नींद में होता है, तो वह ध्यान के गामा लेवल पर पहुंच जाता है। इस दौरान व्यक्ति को कॉस्मिक एनर्जी अधिक मिलती है। वहीं, जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती है या रात को बार-बार नींद टूटती है, उन्हें अगले दिन ऊर्जा में कमी लगती है। नींद का आपके बिस्तर से गहरा संबंध होता है। वास्तु में इससे जुड़े कुछ टिप्स बताए गए हैं, जिनको अपनाकर आप अच्छी गहरी नींद और ऊर्जा हासिल कर सकते हैं। जानते हैं इसके बारे में...

- बेड को यदि गलत दिशा में रखा जाए, तो यह घर में वास्तुदोष भी उत्पन्न कर सकता है। साथ ही इस पर सोने वाले व्यक्ति को ठीक से नींद भी नहीं आती है, जिससे मानसिक तनाव होता है। वैवाहिक जीवन में परेशानियां व बीमारियां भी इसकी वजह से हो सकती हैं।
- बेड का सिरहाना पूर्व या दक्षिण की ओर होना चाहिए। जबकि गेस्ट रूम में बेड का सिरहाना पश्चिम की ओर हो सकता है। अगर बेड लकड़ी का है तो और भी अच्छा है। धातु का बेड नकारात्मक ताकतें पैदा करता है। प्यार बढ़ाने के लिए एक कपल को सिंगल मेटरेस पर सोना चाहिए और दो अलग-अलग मेटरेस को आपस में जोड़ना नहीं चाहिए।
- अपने बेडरूम में सुगंधित मोमबत्तियां, डिफ्यूजर्स या परफ्यूम रखें। आप चमेली या लैवेंडर की खुशबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी खुशबू आपका मूड झट से ठीक कर सकती है।
- अपने बेडरूम में गोल या अंडाकार शेप का बेड न रखें। बेड में हमेशा सिर टिकाने की जगह होनी चाहिए। सोते वक्त कभी अपने पीछे खिड़की खोलकर न सोएं। बिस्तर के ऊपर की छत गोल नहीं होनी चाहिए।
- कमरे के दरवाजे के ठीक सामने पलंग नहीं रखना चाहिए। यदि दरवाजे के सामने पलंग लगा है, तो इससे वास्तुदोष उत्पन्न होते हैं। इससे आर्थिक समस्या, मानसिक तनाव, बीमारी आदि समस्या बनी रहती हैं। यदि पलंग का स्थान बदल पाना संभव न हो, तो दरवाजे पर पर्दा डालकर रखें।
- बेड के ठीक सामने ऐसा शीशा नहीं होना चाहिए। यह पति-पत्नी के रिश्तों पर बुरा असर डालता है। यदि पलंग के सामने ऐसा कांच हो, जिसमें प्रतिबिंब दिखाई देता हो, तो उस पर कपड़ा डालकर सोना चाहिए।
- यदि आपके पलंग के ठीक ऊपर छत का बीम है, तो पलंग को वहां से शिफ्ट कर लेना चाहिए। बीम के नीचे सोने पर आपके मस्तिष्क पर भार पड़ता है। नींद ठीक से नहीं आती है और तनाव बढ़ता है, थकान दूर नहीं होती है।
- आजकल बेडरूम में ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर आदि नहीं रखनी चाहिए। दरअसल, ये वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं, जो व्यक्ति को रोगी बना सकती हैं।
- वास्तु के अनुसार, बेडरूम में पानी से संबंधित तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने पर धन हानि होने की संभावनाएं बढ़ती हैं।
- पलंग पर यदि खाने की वस्तु या पानी रखते हैं, तो यह भी हानि पहुंचाता है। इससे आर्थिक समस्या, बीमारी, रिश्तों मे तनाव आदि समस्या हो सकती हैं।
- पलंग का सिरहाना और बिस्तर आरामदायक होना चाहिए। यदि सिरहाना ठोस लकड़ी का होगा, तो ज्यादा शुभ रहता है। बेड की ऊंचाई न तो बहुत ज्यादा होना चाहिए और न ही बहुत कम।
- बेड के नीचे कुछ सामान नहीं रखना चाहिए। अगर सामान रखा होगा, तो ऊर्जा मार्ग बाधित होगा। इसी ऊर्जा से आपको शक्ति मिलती है और सुबह जब आप सोकर उठते हैं, तो एकदम तरोताजा महसूस करते हैं और दिनभर एनर्जी बनी रहती है।
- बेड के सिरहाने के ठीक पीछे दीवार होना चाहिए। ऐसा होने पर आपको अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि सिरहाने के पीछे खिड़की होगी या खुला हिस्सा होगा, तो आपके आस-पास की ऊर्जा बाहर चली जाएगी।

सभार : नई दुनिया

अकेलापन बन रहा मौत की वजह

कुछ
होता है। वह खुद के साथ समय बिताने से ज्यादा प्रोडक्ट महसूस करते हैं। लेकिन यदि यह अकेलापन खुद की च्वाइस न हो तो यह मौत के जोखिम को कई गुणा तक बढ़ा सकता है। समाचार एजेंसी योनहाप की रिपोर्ट के मुताबिक, स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय साउथ कोरिया द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि साल 2023 में 3,661 लोगों की मौत अकेलेपन के कारण हुई है। वहीं, साल 2022 में यह संख्या 3,559 थी। पिछले वर्ष साउथ कोरिया में होनेवाली कुल मौतों में में लगभग 1.04 लोगों की मौत अकेलेपन के कारण हुई।

रिपोर्ट के अनुसार, अकेलेपन के कारण मरने वाले लोगों में सबसे ज्यादा संख्या पुरुषों की है। इसमें 84.1 पुरुष और बाकी महिलाएं शामिल हैं।

अकेलेपन से मौत का कनेक्शन

अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार, अकेलेपन से हार्ट डिजीज से मौत का खतरा 29 प्रतिशत और स्ट्रोक से 32 प्रतिशत तक बढ़ जाता है। इसके अलावा, ज्यादा समय तक अकेले रहने से मेंटल हेल्थ पर नकारात्मक असर पड़ता है, जिससे सुसाइड की संभावना काफी बढ़ जाती है।

क्या आप अकेलेपन से जुझ रहे हैं? ऐसे पहचानें

मी या
निराशा की भावनाएं, हर समय थका हुआ महसूस होना, नींद न आना जैसे लक्षणों का अनुभव अकेलेपन से जुड़ा है। यदि आप अकेले रहते हैं, और अंदर से संतुष्टि या खुशी का अनुभव नहीं करते हैं तो इसे नजरअंदाज न करें। ध्यान रहें कि कई बार आसपास लोगों के रहने के बावजूद भी आप अकेला महसूस कर सकते हैं।

अकेलेपन से बचने का उपाय

अकेलेपन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है नए दोस्त बनाए, जिम, सोशल इवेंट में जाए जहां आप समान इंट्रेस्ट वाले लोगों से मिल सकते हैं। हमेशा खुद को नए चीजों को सीखने में बिजी रखें।

डिस्क्लेमरः प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है। हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है। आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑनलाइन कोर्स

ऑनलाइन की इस दौर में जहां हम सभी हर काम ऑनलाइन करने लगे हैं वहां अब एजुकेशन नें भी अपनी अलग ही जगहा बना ली है। जहां एक समय था की हम एजुकेशन के मामले में ऑनलाइन की तरफ रुख करने से डरते थे वहीं आज का समय है कि हम जितना चाहें उतना ऑनलाइन मोड में विभिन्न कोर्सेस के माध्यम से पढ़ने लगे है। इतनी ही नहीं है हम एक से एक बेहतरीन कोर्स अब ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऐसा कोई ही कोर्स होगा जो छात्र अब ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं यहां तक कई संस्थान ऐसे हैं जो बैचलर और मास्टर कोर्स भी छात्रों के लिए उपलब्ध करवाते हैं। सबसे ज्यादा जिन कोर्सेस की उपलब्धता बढ़ी है और वह अक्सर ही डिमांड में भी रहते हैं वह सर्टिफिकेट कोर्स हैं। इसके पीछे का एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि इन कोर्सेस को छात्र बिना अपने दैनिक जीवन में बदलाव कर सकते है और कहीं भी किसी भी वक्त कर सकते हैं। आज जिस कोर्स के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वह कोर्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस कोर्स के बारे में आप सभी ने सुना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस समय हम सभी के जीवन का एक हिस्सा है। सभी एप और कंपनियां इस इंटेलिजेंस का प्रयोग करती है। धीरे -धीरे इस क्षेत्र में छात्रों के लिए करियर अवसर बढ़ते जा रहें है और छात्र इस कोर्स की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं। ये उन्ही छात्रों के लिए एक अच्छा मौका है कि वह इस विषय में सर्टिफिकेट कोर्स और अन्य ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं। भारत की ऑनलाइन शिक्षा देने वाले कई संस्थान है जो इस विषय में सर्टिफिकेट कोर्स ऑफर करते हैं आइए आपको उन कोर्सेस के बारे में बताए जिन्हें करक आप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माहिर बन सकेत हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विभिन्न एप्लिकेशन में ई-कॉमर्स, शिक्षा, जीवन शैली, नेविगेशन, रोबोटिक्स, मानव संसाधन, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, गेमिंग, ऑटोमोबाइल, सोशल मीडिया, मार्केटिंग, चैटबॉट, वित्त मुख्य तौर पर शामिल हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स ऑनलाइन मोड में कुछ घंटों से महीने का कोर्स है इस कोर्स को छात्र कक्षा 12वीं के बाद कर सकते हैं। छात्र इस कोर्स को ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। कोर्स की फीस की बात करें तो कई संस्थान फ्री में भी छात्रों को कोर्स ऑफर करते हैं और अन्य संस्थानों की फीस 3 हजार से 1 लाख तक जा सकती है। ये कोर्स और उसे ऑफर करने वाले संस्थानों पर आधारित होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विभिन्न एप्लिकेशन में ई–कॉमर्स, शिक्षा, जीवन शैली, नेविगेशन, रोबोटिक्स, मानव संसाधन, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, गेमिंग, ऑटोमोबाइल, सोशल मीडिया, मार्केटिंग, चैटबॉट, वित्त मुख्य तौर पर शामिल हैं। आइए कोर्स से संबंधित अन्य बातों के बारे में जाने। इस कोर्स में छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिक, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पैटर्न रिकॉग्निशन, मशीन लर्निंग, रोबोटिक, डीप लर्निंग आदि के बारे में सिखाया जाता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस : योग्यता

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स में सर्टिफिकेट करने के लिए छात्रों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 12वीं पास करनी आवश्य है।

कोर्स करने के लिए छात्रों को कक्षा 12वीं साइंस स्ट्रीम से पास करनी आवश्यक है। इसके साथ आपको बता दें कि कोर्स करने के लिए छात्र के पास साइंस में मुख्य विषयों में फिजिकस और मैथ्स पढ़ा होना आवश्यक है।

कुछ संस्थान कोर्स के लिए अंक प्रतिशत भी मांगते है ऐसी स्थिति में छात्रों के कक्षा 12वीं में कम से कम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।

सर्टिफिकेट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स ऑनलाइन

संस्थान का नाम – आईआईटी मद्रास इंटेलीपाट के माध्यम से

कोर्स की फीस – 85,004 रुपये

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर मास्टर प्रोग्राम

संस्थान का नाम – सिंपलीलर्न

कोर्स की फीस – 51,400 रुपये

आईबीएम एप्लाइड एआई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट

संस्थान का नाम – कोर्सेरा

कोर्स की फीस – फ्री एनरोलमेंट

आईबीएम एआई इंजीनियरिंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेट

संस्थान का नाम – कोर्सेरा

कोर्स की फीस – फ्री एनरोलमेंट

माइक्रोमास्टर्स प्रोग्राम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय कोलंबिया विश्वविद्यालय

संस्थान का नाम – मकग

कोर्स की फीस – 81,990 रुपये

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नैनोडेग्री प्रोग्राम

संस्थान का नाम – यूडेसिटी

कोर्स की फीस – 77,676 रुपये

पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग

संस्थान का नाम – बिट्स पिलानी

कोर्स की फीस – 2,45,000 रुपये

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए–जेडज्ड: लर्न हाउ टू बिल्ड एन एआई

संस्थान का नाम – यूडेमी

कोर्स की फीस – 3,499 रुपये

मास्टर द फांडामेंटल्स ऑफ एआई और मशीन लर्निंग

संस्थान का नाम – लिंक्डइन लर्निंग

कोर्स की फीस – फ्री ट्रायल (1 महीने)

लर्न विद गुगल

संस्थान का नाम – गुगल

कोर्स की फीस – फ्री

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स सिलेबस

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिक

पैटर्न रिकॉग्निशन

मशीन लर्निंग

रोबोटिक

डीप लर्निंग

प्रोग्रामिंग लैंग्वेज

न्यूरल नेटवर्क्स

एल्गोरिदम

लैंग्वेज प्रोसेसिंग

ऑटोमेटा

सेंसर

डाटा बेस मैनेजमेंट एंड बिग डाटा

सभार : करियरइंडिया

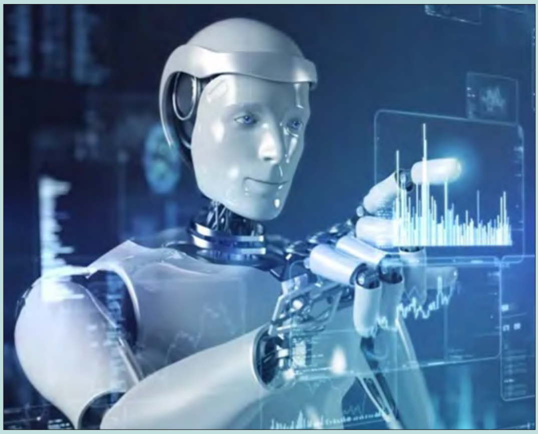

मैं टाईम विटनेस की सदस्यता ले रहा/रही हूं।

नाम – श्री/श्रीमती/कुमारी..जन्म तिथि..

पता..

....राज्य...

फोन (निवास)....................................मोबाईल...ई–मेल...

कृपया Time Witness के नाम का डी.डी. या चेक नं..................................तिथि..........................प्राप्त करें।

बैंक का नाम...

कृपया इस फार्म को भरकर डी.डी. या चेक के साथ हमे इस पते पर भेंजे।

टाईम विटनेस, मासिक पत्रिका

नियर रिवरेन पब्लिक स्कूल, ब्राह्मणवाला, निरंजनपुर, देहरादून– 248171

7409293012, 7078188479

अवधि	अंको की संख्या	कवर मूल्य	बचत	सब्सक्रिप्शन मूल्य
1 वर्ष	12	150.00	30.00	180
2 वर्ष	24	290.00	70.00	360
3 वर्ष	36	430.00	110.00	540
4 वर्ष	48	520.00	200.00	720

नियम व शर्तें

1. यह योजना केवल भारत में ही मान्य है।

2. पत्रिका साधारण डाक द्वारा भेजी जाएगी तथा डाक गुम हो जाने पर जिम्मेदारी संस्थान की नहीं होगी। सूचना प्राप्त होने पर यदि वह अंक उपलब्ध रहता है तो पुनः निशुल्क प्रेषित कर दिया जायेगा।,

3. कूरियर रजि. डाक से मंगवाने के लिए ग्राहक का कूरियर रजि. डाक खर्च अतिरिक्त वहन करना होगा।

4 सभी विवादों का निपटारा देहरादून (उत्तराखण्ड) न्यायालय के अधीन होगा।

गुरू फॉरेन्सिक एण्ड डिटेक्टिव एजेंसी

1. घरेलू निगरानी
2. निजी अत्याचार की जांच
3. बच्चों की सुरक्षा व उनका उत्पीड़न
4 विवाह सम्बंधित जांच करवाना
5. पति/पत्नी में मतभेद की जांच करवाना
6. फिंगर प्रिन्ट निरीक्षण
7. हस्तलेख व हस्ताक्षर जांच
8. विवादास्पद प्रलेख जांच में दक्ष

हेड ऑफिस :— गली न0—5, मोनाल एनक्लेव, बंजारावाला, देहरादून।
ब्रांच :— नथनपुर, रिंग रोड, जोगीवाला, देहरादून।
फोन न0. 0135—2532999, 9675331055, 9568728805
E-mail:- guruforensic2015detective@gmail.com

आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड

—: जनसामान्य के हित में सर्वसाधारण से अपील की जाती है कि :—

- अवैध अड्डों एवं तस्करी से प्राप्त मदिरा को कदापि न खरीदें। यह मिथेनॉल अथवा डिनेचर्ड स्प्रिट से बनी हो सकती है, जो जहरीली हो सकती है, जिसके सेवन करने से आंखों की रोशनी जा सकती है एवं मृत्यु भी हो सकती है।
- आबकारी विभाग द्वारा दिये गये लाइसेंस के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त शराब दुकानों से ही मदिरा खरीदना, उपभोग करना/पीना सुरक्षित है।
- मदिरा क्रय करते समय बोतलों की सील बंद होना व उन पर सुरक्षा की दृष्टि से विभाग द्वारा लगाये गए होलोग्राम देखकर ही मदिरा को क्रय किया जाए।
- लाइसेंस प्राप्त फुटकर अनुज्ञापनों में ओवर रेटिंग/एम0आर0पी0 से अधिक की बिक्री एवं यदि कोई अवैध रूप से निर्मित एवं तस्करी से प्रदेश में लायी गयी मदिरा की बिक्री/भण्डारण कर रहा हो तो, तत्काल निम्न नम्बरों पर सूचित करें:—

कन्ट्रोल रूम

आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के टोल फ्री नम्बर—18001804252 दूरभाष नम्बर—0135—2656229 /व्हाट्सएप नम्बर—7579098405

इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जिला आबकारी अधिकारी/थानाध्यक्षों एवं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों को भी सूचित किया जा सकता है। शिकायतकर्ता का नाम पूर्ण रूप से गुप्त रखा जायेगा एवं शिकायतकर्ता की शिकायत सही होने पर उसे विभाग की ओर से पुरस्कृत भी किया जायेगा।

आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।

कोहिनूर आर्ट ज्वैलर्स

एक अनमोल रिश्ता

की ओर से
सभी देश व
प्रदेशवासियों को

धनतेरस "दीपावली" व भाई दूज

की हार्दिक शुभकामनाएं

“अब बेटी की
शादी के जेवर
की चिंता छोड़ें
कोहिनूर आर्ट ज्वैलर्स
से नाता जोड़ें”

सोना, चांदी के जेवरातों के विक्रेता
68 माजरा, सहारनपुर रोड देहरादून,
फोन न0 0135-2726569, मो. : 9837359716

सभी देश व प्रदेशवासियों को

धनतेरस "दीपावली" व भाई दूज

की हार्दिक शुभकामनाएं

आर.ए. खान

निदेशक
प्रयाग आई.ए.एस एकेडमी